पंचदश माला, खंड 1, अंक 7

मंगलवार 9 जून, 2009
19 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 76
Dated

(खंड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्राभाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय - सूची

पंचदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2009/1931 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 9 जून, 2009/19 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

विषय		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र		1, 5
नियम 377 के अधीन मामले		6-13
(एक)	श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिलों को सिंहलियों की तरह समान अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस. अलागिरी	6
(दो)	उत्तराखण्ड में फसल की बर्बादी के कारण व्यथित किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने तथा राज्य में पेयजल परियोजनाएं लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सतपाल महाराज	6
(तीन)	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और गोंडा के बीच मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदले जाने की आवश्यकता	
	श्री जगदम्बिका पाल	6-7
(चार)	आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में गडवाल रेलवे स्टेशन के निकट लेवल क्रासिंग पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	7
(पांच)	मणिपुर विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य की हत्या के कारण बंद हुए विश्वविद्यालय को पुनः खोले जाने की आवश्यकता	
	डॉ. थोकचोम मैन्या	7
(छः)	पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा नदी के कारण आयी बाढ़ और भू–क्षरण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अबू हशीम खां चौधरी	8
(सात)	मध्य प्रदेश के ललितपुर को सिंगरौली वाया टीकमगढ़, छत्तरपुर और पन्ना जिलों से जोड़ने के लिए रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वीरेन्द्र कुमार	9
(आठ)	मध्य प्रदेश के जबलपुर में तीन अतिरिक्त सीजीएचएस औषधालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री राकेश सिंह	10
(नौ)	बिहार गन्ना संशोधन विधेयक, 1981 को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राधामोहन सिंह	11
(दस)	कर्नाटक में बंगलौर और मंगलौर के बीच रेल सेवा को कारवार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वी. सदानन्द गौडा	11
(ग्यारह)	विदर्भ क्षेत्र में लंबित सभी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हंसराज गं. अहीर	11-12

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत इंडिया मार्क–II हैंडपम्प लगाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 11-12

(तेरह) बिहार के खगड़िया जिले में खगड़िया रेलवे जंक्शन के निकट रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 12

(चौदह) पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने तथा उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर 12

(पन्द्रह) पैदल यात्रियों तथा वाहन यातायात के सुचारू आवागमन के लिए तमिलनाडु में सेलम कस्बे से गुजरने वाले रेल मार्ग के बीच अंडरपास को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई 12-13

(सोलह) सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद ई. टी. बशीर 13

(सत्रह) पश्चिम बंगाल मे बलूरघाट और इयाकलाखी रेल खंड के बीच रेलवे स्टेशनों पर अवसंरचना को मजबूत बनाए जाने तथा यात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 13

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 14

श्री पन्ना लाल पुनिया 14-18

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 18-20

श्री लालू प्रसाद 20-28

श्री हरिभाऊ जावले 28

श्री जे. एम. आरून रशीद 28-31

श्री कल्याण सिंह 31-34

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा 34-35

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 35-40

श्रीमती जयाप्रदा 40-43

डॉ. मनमोहन सिंह 43-53

संशोधन – अस्वीकृत 54

प्रस्ताव – स्वीकृत 54

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदया 54-56

राष्ट्रगीत 56

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 9 जून, 2009/19 ज्येष्ठ, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुई)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री एस. एस. पलानिमनिकम।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानिमनिकम) : मैं अपने सहयोगी श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से स्टॉक मार्केट स्कैम और तत्संबंधी मामलों से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही संबंधी 12वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल. टी. 11/15/09)

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी – उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं कुछ माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाने की अनुमति देती हूँ। वे तीन–तीन मिनट के लिए बोलें।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डमुरियागंज) : मैडम स्पीकर, भारत और नेपाल का संबंध मित्र राष्ट्र का है। नेपाल से हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और व्यक्तिगत संबंध अतीत काल से चले आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह के घटनाक्रम नेपाल में हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हम लोगों को चिंतित होना चाहिए। इस संबंध में इस सदन में भी चिंता व्यक्त की गयी। पिछले एक सप्ताह से नेपाल में जो भारतीय वाहन वहां की आवश्यक वस्तुओं को ले कर गए, माओवादियों के द्वारा उन्हें जलाया जा रहा है। एक फैक्ट्री भारत के द्वारा लगायी गई थी, उसे बंद कर दिया गया। इंडियन ओरिजिन के मधेशिया समुदाय के लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है।

मैडम, आज हमारी नयी सरकार बनी है। स्वाभाविक रूप से हमारे पड़ोसी देशों में लोगों को हमसे बहुत अपेक्षायें हैं। वह राष्ट्र जो हमारे लिए हर दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज उस देश का पड़ोसी होने के नाते, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, निश्चित तौर पर हमारा उस पर चिंता करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार इस मामले में कुछ आवश्यक कार्रवाई करे जिससे कि जो भारतीय वहां रह रहे हों या चाहे पर्यटक जा रहे हों, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर भी वहीं काठमांडू में है, वह हमारे लिए आस्था का केंद्र है। बलरामपुर देवीपाटन का मंदिर है, जहां नेपाल से हजारों लोग मां शारदा के दर्शन हेतु नवरात्रि में आते हैं। हमारे बीच इस तरह के रिश्ते हैं, शादी–विवाह के रिश्ते हैं, लोगों की जमीनें हैं। भारत और नेपाल का करीब 1,571 किलोमीटर का बार्डर है, जो हम सब लोगों की कांस्टीच्युएंसी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, इस पर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ पहल करके भारतीयों की सुरक्षा की व्यवस्था वहां सुनिश्चित की जाए, यह मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती जयाप्रदा, आपने दो मुद्दों के संबंध में नोटिस दिया है। कृपया आप स्वाईन फ्लू का मुद्दा उठाइए ताकि अन्य सदस्य जिन्होंने इसके संबंध में नोटिस दिया है, अपने आपको इससे संबद्ध कर सकें।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, मैं हज यात्रा का मुद्दा उठाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप इसी एक मुद्दे को उठाइए। मैं आपको तीन मिनट का समय दे रही हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : मैडम, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ ही आपको इस कुर्सी पर देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूं। आज मैं इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि प्रत्येक वर्ष हजारों लोग हज की पवित्र यात्रा के लिए जाते हैं और जितना कोटा सरकार की ओर से उपलब्ध है, उससे ज्यादा संख्या में लोग पवित्र हज यात्रा के लिए उम्मीद रखते हैं और उन्हें कोटा न मिलने पर बहुत निराशा व्यक्त करते हैं। खासतौर से यह बात उनके दिल की भावनाओं से जुड़ी हुई है कि जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी चाहिए।

कश्मीर के बाद रामपुर मेरा संसदीय क्षेत्र एक मुस्लिम बहुल एरिया है और वहां से काफी लोग पवित्र हज यात्रा में जाने की उम्मीद करते हैं। कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जहां सरकार ने जो कोटा उपलब्ध करवाया

है लेकिन कुछ प्रदेशों के उस कोटे को घटाया जा रहा है, वहां हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने के बजाए घटाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से उस कोटे को पूरा कराना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर के हज यात्रियों के निर्धारित कोटे को कम करने की वजह से हज यात्रा में जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 1,760 लोगों का कोटा निर्धारित किया गया था। सन् 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1,000 लोगों को उस कोटे से हज भेजा गया था। सन् 2009 में सिर्फ 868 लोगों का कोटा दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी करने के बजाए उसे घटाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* मैं चाहती हूं कि जो असली कोटा उपलब्ध है, जो 2,700 लोगों को भेजा जाता है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि पहले जब लोग हज यात्रा के लिए जाते थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गई है। आपने सब कुछ बता दिया है। आपका समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : मैडम, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

महोदया, पहले लोग 90,000 रुपए में हज यात्रा में जाते थे, लेकिन आज यह रकम 1,20,000 रुपए हो गई हैं। मैं कहना चाहती हूं कि पहले जो 90,000 रुपए थे, उसे उतना ही रखें और उनका हज जाने का कोटा बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं 70,000 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण लेने का कार्य पूरा कर लिया है, से संबंधित मुद्दा उठाना चाहता हूं। ये प्रशिक्षण संस्था विधान सभा में अधिनियम लागूकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन तत्पश्चात कोलकाता उच्च न्यायालय ने इन प्रशिक्षण संस्थानों के विरुद्ध निर्णय दे दिया है और इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया है।

अब विगत में इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया गया था। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था लेकिन उस अध्यादेश को व्यपगत हो जाने दिया गया। अब मामला केन्द्र सरकार के पास लंबित है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए केन्द्रीय संसाधन मंत्री को पत्र लिखे हैं। कुछ अन्य राज्यों के साथ यही समस्या थी लेकिन वहां इसका समाधान हो गया है।

लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में 70,000 छात्र इस समस्या का सामना कर रहे हैं। बहुत से विद्यालयों में शिक्षक नहीं रहे। सभा के नेता श्री प्रणब मुखर्जी भी इस बारे में जानते हैं।

मैं इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए सरकार से प्रयास करने का आग्रह करता हूं ताकि 70,000 छात्रों जिन्होंने इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पास हुए हैं, की सहायता की जा सके। एन. सी. टी. ई. से संबद्धता के बारे में समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि छात्रों में व्याप्त अनिश्चितता को समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हैं, उनके साथ आदित्यनाथ योगी एसोसिएएट कर दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नेपाल के रास्ते गए हजारों भारतीय यात्री पुरंग में फंसे हुए हैं। उनके पास न खाने की कोई व्यवस्था है और न ही ठहरने की व्यवस्था है। पुरंग एक बहुत छोटा सा कस्बा है। उनके पास बहुत सीमित वीजा है जो केवल 16 दिन का है। वहां छः यात्रियों की मृत्यु होने की भी पुष्टि हुई है। इसलिए, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहती हूं कि नेपाल सरकार और चीन सरकार से बात करके आप उनके तुरंत सकुशल घर लौटने की व्यवस्था करें और उनके वहां खाने-पीने की भी व्यवस्था करें। वे लोग वहां बहुत ज्यादा संकटमय स्थिति में हैं। बार-बार टेलीविजन के रास्ते ये खबरें आ रही हैं।

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूं और सरकार से चाहती हूं, नेता सदन यहां बैठे हैं, कि उनके लिए जरूर तुरंत कोई प्रबंध और व्यवस्था की जाये।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी कांस्टीटूएंसी में 8 मई, 2008 से 7 जून, 2009 तक लगातार 332 लोग चेनाब दरिया में गिर चुके हैं। परसों एक मैटाडोर चेनाब दरिया में गिर गई, जिससे सारे लोग डूब गए। उनमें से एक आदमी भी दिखाई नहीं दिया। उससे पहले एक बस भी चेनाब दरिया में गिरी थी। उससे पहले हायर सैकेंडरी स्कूल का पूरा स्टाफ भी उसमें गिर गया। मुझे अफसोस है कि मई 2008 से जून, 2009 तक 332 लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में मरे हैं। मैं सरकार से उम्मीद रखता हूं कि उस सड़क में, जो आपकी सड़क है, ग्रेफ की सड़क है, वहां रोज जो तबाही हो रही है, उसे बचाया जाये। मैं यही अपील आपसे करना चाहूंगा।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र–*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदया, जब आपने मेरा नाम पहले पुकारा था। तब मैं उपस्थित नहीं थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ।

मैं श्री जयराम रमेश की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 521 (अ) जो 20 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अध्यक्ष और सदस्यों वाले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या 12/15/09)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदया, कल आपने सदन में जानकारी दी थी

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बिना नोटिस दिए हुए बोल रहे हैं, इसलिए आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : आप जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आपने इस इश्यू पर कोई नोटिस नहीं दिया है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : यह सब कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप जो भी कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आपने इस इश्यू पर कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

(एक) श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिलों को सिंहलियों की तरह समान अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर) : यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में तमिल लोग अभी भी मारे जा रहे हैं तथा उन्हें दूसरे दर्ज का नागरिक माना जाता है।

आज की परिस्थितियों में श्रीलंका में तमिल लोगों को सिंहलियों की तरह समान अधिकार मिलने चाहियें। इसका राजनैतिक हल शक्तियों का हस्तांतरण है और यही समय की मांग भी है।

समूचे विश्व के तमिलों की ओर से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि श्रीलंका में तमिल लोगों को समुचित अधिकार देने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(दो) उत्तराखंड में फसल की बर्बादी के कारण व्यथित किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने तथा राज्य में पेयजल परियोजनाएं लागू किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक सूखा पड़ने से गेहूं की फसल समाप्त हो चुकी है जिससे आम जनता को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। साथ ही पहाड़ों पर पेयजल का भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है तथा पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। गांवों में विशेषकर महिलाओं को पेयजल लाने हेतु मीलों पैदल चलना पड़ता है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तराखंड के समस्त काश्तकारों को उचित सहायता दिए जाने एवं राज्य की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायें तथा पेयजल योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करवाया जाये।

(तीन) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और गोंडा के बीच मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदले जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गोंडा वाया नौगढ़, उस्का, शोहरतगंज, चिल्हिया एवं

*सभा पटल पर रखे माने गये।

बढ़नी के बीच रेलवे की मीटरगेज लाइन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त रेलवे लाइन भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। इसी रेलवे लाइन पर गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर भी पड़ती है। उक्त रेलवे लाइन से नेपाल एवं भारत के बीच यात्रियों का आवागमन तथा व्यापार का आदान–प्रदान होता है। बड़ी तादात में सिद्धार्थनगर के लोग मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात तथा दक्षिण भारत में नौकरी एवं व्यापार करते हैं। अतः भारत सरकार जनहित में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर से गोंडा तक की मीटरगेज लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन की कार्यवाही करने की घोषणा करे।

(चार) आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में गडवाल रेलवे स्टेशन के निकट लेवल क्रांसिंग पर रेल ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : गडवाल रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद मंडल में दक्षिण मध्य रेल के महबूबनगर तथा कुरनूल खंड में स्थित है। यह एक पूर्व रजवाड़ा है तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा राजनीतिक केन्द्र है। यह कर्नाटक राज्य में रायचूर के एकदम निकट है। अनेक वाहन रायचूर पहुंचने के लिये गडवाल से होकर गुजरते हैं तथा कुछ वाहन कुरनूल पहुंचने के लिये लीज़ा से गुजरते हैं। परंतु गड़वाल रेलवे स्टेशन के सिकंदराबाद वाले छोर पर चौकीदार वाले रेलवे फाटक के कारण पैदल यात्रियों तथा गाड़ियों के आवागमन में काफी असुविधा होती है। अतः एक रेल ऊपरिपुल की अत्यधिक आवश्यकता है तथा यह गडवाल और इसके आस–पास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। मैं आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह यातायात को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये रेलवे स्टेशन के निकट समय पर रेल ऊपरिपुल का निर्माण करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

(पांच) मणिपुर विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य की हत्या के कारण बंद हुए विश्वविद्यालय को पुनः खोले जाने की आवश्यकता।

डॉ. थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : मणिपुर विश्वविद्यालय को दिनांक 25 मई को अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. मोहम्मद इस्लामुद्दीन की हत्या के कारण बंद कर दिया गया है। विद्यार्थी तथा उनके माता–पिता अध्ययन में व्यवधान आने पर चिंतित हैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर गौर फरमाने का अनुरोध करता हूं।

(छह) पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा नदी के कारण आयी बाढ़ और भू-क्षरण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री अबू हशीम खां चौधरी (मालदा दक्षिण) : मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में काफी लम्बे समय से व्याप्त भू–कटाव और बाढ़ की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार ने क्षेत्र में भू–कटाव और बाढ़ की रोकथाम की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। भूमि कटाव नियंत्रण संबंधी कार्य जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत फरक्का बैराज नामक परियोजना के द्वारा किया जा रहा है।

गंगा राजमहल पहाड़ियों से निकलती है तथा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और मालदा जिले के बाईं ओर से गुजरती है जिसके कारण भारी भू कटाव होता है और बाढ़ आती है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, आम के बाग, हरे–भरे खेत नष्ट हो गए हैं। भू कटाव और बाढ़ के कारण लोग असहाय हो गए हैं। गंगा नदी मालदा और मुर्शीदाबाद जिलों में भारी तबाही मचाती है, परन्तु इस समस्या को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है।

बिना कोई विलम्ब किए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(एक) गंगा नदी की अपस्ट्रीय जैसे मालदा में मनिकचक घाट से भूतनी चर तक तथा मुर्शीदाबाद में दुलियन की तत्काल मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है।

(दो) शिमुलतला में बाढ़ और भू कटाव के नियंत्रण हेतु कार्य किया गया है। परन्तु हुसैनपुर से दो कि.मी. पहले तक गंगा ने तबाही मचानी शुरू कर दी है।

हाल ही में यह देखा गया है कि एक क्षेत्र मे बाढ़ नियंत्रण का कार्य आरम्भ किया जाता है, वहीं से थोड़ी दूरी पर गंगा नदी अपना मार्ग बदल लेती है और भारी तबाही लाती है। मेरा मानना है कि फिलहाल फरक्का बैराज परियोजना जिसके अंतर्गत मालदा में भू–कटाव और बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है, इसके पास बेहतर जन शक्ति अथवा संसाधनों का अभाव है। मालदा और मुर्शिदाबाद में भू–कटाव और बाढ़ नियंत्रण की समस्या के समाधान हेतु उन्हें और अधिक इंजीनियर और निधियों की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि मालदा में भू–कटाव और बाढ़ की समस्या से ग्रस्त लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं।

(सात) मध्य प्रदेश के ललितपुर को सिंगरोली नवादा टीकमगढ़, छत्तरपुर और पन्ना जिलों से जोड़ने के लिए रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ एवं छत्तरपुर जिला मुख्यालय में देश की स्वतंत्रता की इतनी लम्बी समयावधि निकल जाने के बाद भी रेल लाइन की सुविधा से वंचित है तथा क्षेत्र की जनता को रेल से यात्रा करने 130 कि.मी. दूर झांसी जाना पड़ता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ललितपुर सिंगरोली रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई थी, किंतु विगत् 5 वर्षों में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से हुआ है। इसके शीघ्र पूर्ण होने से रेलों का आवागमन प्रारंभ हो जायेगा तथा टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना जिले के नागरिक भी रेलों से यात्रा कर सकेंगे।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रता से कार्यवाही कर ललितपुर–सिंगरौली वाया टीकमगढ़–छत्तरपुर–पन्ना इस ट्रेक की रेलवे लाइन का कार्य प्राथमिकता से कराने का सहयोग करें।

(आठ) मध्य प्रदेश के जबलपुर में तीन अतिरिक्त सीजीएचएस औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर में पांच आयुध निर्माणीयों के अतिरिक्त सी.ओ.डी., 506 आर्मी बेस वर्कशाप एवं एम.ई.एस. जैसे बड़े सुरक्षा संस्थान हैं, जिनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 हजार तथा पेंशनर्स की संख्या लगभग 30 हजार है। पूर्व से चल रही सी.जी.एच.एस. की तीन डिस्पेंसरियों की संख्या नहीं बढ़ी, किंतु लाभार्थियों की संख्या तीन गुना बढ़ चुकी है। फलस्वरूप सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। गत लोक सभा में मेरे प्रश्न व पत्र के उत्तर में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि संसाधनों की कमी के कारण सी.जी.एच.एस. के नेटवर्क में विस्तार संभव नहीं है, लेकिन सुविधाविहीन क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। किंतु, अभी तक ऐसा नहीं हो सका है, जिसके कारण जबलपुर में रहने वाले हजारों केन्द्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स सी.जी.एच.एस. की सुविधा से वंचित है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कम से कम तीन सी.जी.एच. एस. डिस्पेंसरी जबलपुर में और खोली जायें तथा सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शीघ्र प्रारंभ की जाये।

(नौ) बिहार गन्ना संशोधन विधेयक, 1981 को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : बिहार सरकार ने विकसित बिहार के निर्माण हेतु कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि बिहार में खदान एवं उद्योगों की कमी है। राज्य सरकार ने 23 नई चीनी मिलों एवं एथनॉल के लिए मेगा प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें पांच बिलियन डालर का निवेश होगा एवं 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। गन्ने से सीधे–सीधे एथनॉल हासिल करने के लिए बिहार विधानमंडल ने बिहार सुगरकेन विधेयक 1981 में संशोधन को मंजूरी दे रखी है। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अप्रैल, 2007 में ही भेजा गया पर यह लंबित है। स्वयं मा. प्रधानमंत्री जी ने भी समय–समय पर पर्यावरण की दृष्टि से पेट्रोल एवं डीजल में एथनॉल मिश्रण की बात कही है। बिहार के संशोधन प्रस्ताव को मंजूर करने की जगह एक ऐसा आदेश भारत सरकार ने निकाल दिया है, जिसके तहत यह निर्देश है कि सिर्फ पुरानी चीनी मिलें ही गन्ने से एथनॉल का उत्पादन कर सकती हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र के इस आदेश को वापस लिया जाये एवं लंबित पड़े संशोधन विधेयक की मंजूरी प्रदान करायी जाये।

(दस) कर्नाटक में बंगलौर और मंगलौर के बीच रेल सेवा को कारवार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा (उदूपी–चिकमगलूर) : कारवार–उदूपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों के लोगों की काफी लंबे समय से यह मांग रही है कि बंगलौर से मंगलौर के बीच चलने वाली रेल गाड़ी को कारबार तक बढ़ाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के लोग आसानी से कर्नाटक की राजधानी बंगलौर से जुड़ सकें। बंगलौर से चलकर मंगलौर आने वाली रेल गाड़ी सुबह आठ बजे पहुंचती है और सायं 7.30 बजे वापस जाती है। इस रेल गाड़ी के पास कारवार जाने के लिए पर्याप्त समय है तथा मंगलौर में इसके ठहराव के दौरान रेल पटरियां भी खाली होती हैं। बिना किसी अतिरिक्त व्यय के रेलवे यह सेवा प्रदान कर सकती है। मैं रेल मंत्रालय से यह आग्रह करता हूं कि इसे तत्काल कार्यान्वित किया जाए।

(ग्यारह) विदर्भ क्षेत्र में लंबित सभी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : मैं विदर्भ से निर्वाचित हुआ हूं। इस क्षेत्र में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य तथा

केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज तथा की गई ऋणमुक्ति के बाद भी किसानों द्वारा आत्महत्या बदरतूर जारी है। यहां के किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई के साधन और सिंचाई परियोजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। विदर्भ पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। राज्य सरकार द्वारा विकास का अनुशेष कायम रखने से क्षेत्र की जनता अब केन्द्र सरकार से आस लगा कर बैठी है। हमारे यहां पर वनक्षेत्र अधिक होने से वन संरक्षण कानून के कारण बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के अभाव में लंबित रहती हैं। इस क्षेत्र के किसानों का सिंचाई सुविधा से वंचित रहने का यह प्रमुख कारण है और उनके पिछड़ेपन का यही कारक है। बरसों से परियोजना लंबित रहने से इसका निर्माण मूल्य भी लगातार बढ़ता है। इसी तरह वनक्षेत्र की हानि का एन.पी.वी. के रूप में हर्जाना भरने की शर्त के कारण भी राज्य सरकार यहां की सिंचाई परियोजना के लिए उपेक्षा बरत रही है। सिंचाई के अभाव में वर्षाजल पर निर्भर खेती के कारण विदर्भ के किसानों द्वारा आत्महत्यायें की जा रही हैं, यह वास्तव में कृषि आयोग के अध्यक्ष डॉ. स्वामीनाथन ने भी स्वीकार किया था। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कोई उपचारात्मक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जिस तरह गोसीखुर्द परियोजना को केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है उसी तर्ज पर विदर्भ की सभी लंबित परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सरकार मान्यता प्रदान करे तथा इनके निर्माण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराये और अन्य छोटी सिंचाई परियोजना का निर्माण सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार स्वयं इनके लिए धनराशि का विशेष आबंटन करे। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए सिंचाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत इंडिया मार्क-II हैंडपंप लगाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मेरे संसदीय क्षेत्र (कौशाम्बी) उत्तर प्रदेश की पांचों विधानसभा में पेयजल का घोर संकट व्याप्त है। जनपद कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र की दो विधानसभा हैं प्रतापगढ़ के कुंडा एवं बाबागंज हैं। कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में पेयजल संकट का कारण भूमि का निरंतर गिरता जलस्तर है। मैं मांग करता हूं कि एक केन्द्रीय अध्ययन दल संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण करके जांच करें ताकि पेयजल संकट से छुटकारा मिल सके। संपूर्ण विधान सभाओं में पेयजल संकट को देखते हुए प्रति विधानसभा एक हजार हैंडपंप लगाए जाएं। संपूर्ण कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में राजीव गांधी पेयजल मिशन या स्वच्छ पेयजल ग्रामीण मिशन के द्वारा पानी की टंकी व 5000 इंडिया मार्क–II हैंडपंप तत्काल लगाए जाएं।

(तेरह) बिहार के खगड़िया जिले में खगड़िया रेलवे जंक्शन के निकट रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया) : बिहार राज्य के खगड़िया जिला के अंतर्गत खगड़िया जंक्शन से सटे पूर्व रेलवे ढाला संख्या–23बी पर रेल ओवर ब्रिज निर्माण जनहित में कराया जाए।

(चौदह) पश्चिम बंगाल में आइला चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने तथा उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव) : आइला तूफान ने पश्चिम बंगाल के बहुत से भागों में विनाश किया है। हजारों लोग बेघर और बेसहारा हो गए हैं। सुंदरबन क्षेत्र के लगभग 63 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सुंदरवन की विभिन्न नदियों पर बनाए गए लगभग 400 किलोमीटर के तटबंध पानी में बह गए हैं। राहत उपाय अपर्याप्त हैं। जनता विभिन्न रोगों और पेयजल की कमी से जूझ रही है। अधिकांश पशुधन की हानि हुई है। इससे 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तरी 24 परगना जिले के बनगांव, बागदा, गायघाट, स्वरूपनगर और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हरिनधता एवं कल्याणी कस्बों में 50 करोड़ मूल्य की फसल और सब्जियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस उद्देश्य के लिए जिला मुख्यालयों और जिला परिषदों के माध्यम से केंद्रीय अनुदान राशि दी जाए।

(पन्द्रह) पैदल यात्रियों तथा वाहन यातायात के सुचारू आवागमन के लिए तमिलनाडु में सेलम कस्बे से गुजरने वाले रेल मार्ग के बीच अंडरपास को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेम्मलई (सेलम) : सेलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आंडिपट्टी, बोडिनायकनपट्टी, कट्टूर और सिवदापुरम में लगभग 30 हजार लोग रहते हैं। ये क्षेत्र सेलम कारपोरेशन की सीमा के अंतर्गत आते हैं और विद्यमान रेलवे लाइन के कारण इनके पास सेलम शहर जाने का कोई सीधा पहुंच मार्ग नहीं है। वर्तमान में रेलवे लाइन के नीचे केवल 3 फुट चौड़ा पैदलयात्री पथ ही एकमात्र उपलब्ध संपर्क मार्ग है। पहुंच मार्ग न होने की स्थिति में, गंभीर रोगियों और प्रसव पीड़ा में माताओं को अस्पताल ले जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सेलम

शहर जाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर तक कोई वैकल्पिक सड़क सुविधा नहीं है।

भूमिगत मार्ग को चौड़ा करके 3 फुट से 12 फुट करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। ये मांग अब तक पूरी नहीं की गई है।

अतः इस क्षेत्र के लोगों के हित में और उनकी जायज मांग को पूरा करने के लिए, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे लाइन के नीचे स्थित मार्ग को चौड़ा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई अवश्य की जाए।

(सोलह) सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद ई. टी. बशीर (पोन्नानी) : देश में मुसलमान अल्पसंख्यकों के संबंध में सच्चर समिति का प्रतिवेदन सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में अच्छी शुरूआत की है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन की समस्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सिफारिशों को पूरा करने के लिए कोई स्पष्ट और समयबद्ध कार्य रणनीति नहीं है। उल्लिखित कारणों से, इनमें से अधिकांश सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः मैं निम्नानुसार सुझाव देता हूं :–

1. सच्चर समिति के निष्कर्षों के कार्यान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।

2. केन्द्र एवं राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग तंत्र भी बनाया जाए।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में बलूरघाट और इयाकलाखी रेल खंड के बीच रेलवे स्टेशनों पर अवसंरचना को मजबूत बनाए जाने तथा यात्री सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट) : बलूरघाट और इयाकलाखी रेल खंड पर अवसरंचना निर्माण और प्लेटफार्म पर शेड, शौचालयों, पेयजल आदि की सुविधाएं देने की नितांत आवश्यकता है। इसके साथ ही गाड़ी सं. 3161 बलूरघाट–कोलकाता इंटरसिटी एक्सप्रेस और 3162 कोलकाता–बलूरघाट इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो अभी सप्ताह में तीन दिन चलती है, इस गाड़ी को प्रति दिन चलाया जाए। बलूरघाट से मालदा के बीच नई पैसेंजर गाड़ी चलाने की भी तत्काल आवश्यकता है। मैं माननीया रेल मंत्री से अपनी मांगों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[हिन्दी]

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए डॉ. गिरिजा व्यास के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहा हूं।

मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी डॉ. मनमोहन सिंह जी, परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं जिनकी दूरदर्शिता के कारण 2004 से पांच वर्षों तक राष्ट्र हित एवं लोक हित में जो कार्यक्रम चलाये गये उन पर जनता ने मोहर लगाई, लोगों ने प्रसन्न होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जिसके फलस्वरूप आज पुनः यू.पी.ए. की सरकार बनी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय एल.के. आडवाणी जी ने भी अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए आदरणीया सोनिया जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा आदरणीय नेता सदन प्रणब मुखर्जी को बधाई देते हुए कहा कि पन्द्रहवीं लोकसभा के चुनाव में यू.पी.ए. को जनादेश प्राप्त हुआ है। गत पांच वर्षों में निर्णय लिए गए, योजनाएं बनाई गयीं, धन की व्यवस्था की गयी और उन्हें ईमानदारी से लागू किया गया। गरीब किसानों के पुराने कर्जे माफ कर दिये गये इससे उन्हें भय और आतंक से छुटकारा मिला। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का एक सफल प्रयास किया गया। सर्वशिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मामले में एक क्रांति आई। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांगों को परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के माध्यम से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग भी विकास की रोशनी देख सके। सभी वर्ग के लोगों ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और काम को देखकर वोट दिया और आज एक सशक्त जनादेश लेकर सरकार आई है।

मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को तथा आदरणीय सोनिया जी को जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अगले 100 दिन में प्रत्येक वर्ष और पांच वर्ष के लिए क्या प्रतिबद्धताएं होंगी, क्या कार्यक्रम तथा योजनाएं होंगी, उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। हर क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रखे। जनादेश से उत्साहित होकर भारत निर्माण एवं अन्य योजनाओं का जहां लक्ष्य दोगुना कर दिया गया है वहीं पिछले पांच वर्ष के अनुभव के आधार पर उन योजनाओं को जनता के लिए और अधिक लाभकारी बनाया गया है और हर स्तर पर मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता के ऊपर अधिक जोर दिया गया है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

जहां पिछले कार्यकाल में यू.पी.ए. सरकार ने गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया था इस कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाकर अधिकार दिया जा रहा है जिसमें देहात और शहर के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3 रुपया प्रति किलो की दर से चावल या गेहूं दिया जायेगा, यह बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। राज्य सरकारों के द्वारा अगर भ्रष्टाचार से इस योजना को मुक्त कर दिया जाये तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। नरेगा और खाद्य सुरक्षा एक साथ ईमानदारी से लागू करने के बाद भूख के कारण जीविका के लिए होने वाले अपराध समाप्त हो जायेंगे। कोई भी गरीब का शोषण नहीं कर पायेगा। समाज में गैर बराबरी समाप्त होने की तरफ यह एक सशक्त कदम होगा क्योंकि सूची जाति व धर्म पर आधारित नहीं है अतः गरीबी के आधार पर सभी जाति एवं वर्ग के लोग इन योजनाओं में सम्मिलित होते हैं जो वास्तव में समाज में समरसता का संदेश देती है।

लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि राज्य सरकारें वास्तव में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का सही ढंग से चयन करें। उत्तर प्रदेश में अन्तिम बार इस प्रकार की सूची वर्ष 2002 में बनी थी, पांच वर्ष बाद इस सूची का रिवीजन होना था, सूचियां सब गलत बनायी गई थीं, राज्य में सत्ताधारी दल ने अपने लोगों, जो अमीर लोग थे, को सूची में डलवा दिया गया। शिकायत होने पर नयी सूची को निरस्त कर दिया गया और आज वर्ष 2002 में बनायी गयी सूची से काम चलाया जा रहा है जिसमें उन लोगों के नाम सम्मिलित हैं जिनके पक्के मकान हैं तथा परिवार में कोई न कोई नौकरी कर रहा है। जो वास्तव में गरीब हैं उनके नाम उस सूची में नहीं हैं। गत वर्ष बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण गरीबों के कच्चे मकान ध्वस्त हो गये और उन लोगों को आर्थिक सहायता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके नाम गरीबी की रेखा के नीचे वाली सूची में नहीं थे और चैक ऐसे लोगों को मिले जिनके न मकान गिरे थे और गांव में उनके पक्के मकान मौजूद हैं। अगर पुरानी सूची के आधार पर खाद्यान्न वितरित किये गये तो योजना के उद्देश्य की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो पायेगी। सभी योजनाओं के लिए बी.पी.एल. सूची को ही आधार माना गया है, चाहे वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त कनैक्शन देने का हो, इन्दिरा आवास व पेंशन योजना, सभी में इस सूची को आधार माना गया है। गलत सूची बनने से सभी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पायेगा और जिस कल्पना के साथ ये योजना बनाई जा रही है उसके लाभ से गरीब लोग वंचित रह जायेंगे। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकारों को धनराशि भेजी जाती है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2007 में एन.डी.सी. की बैठक में उल्लेख किया था कि गरीबों के लिए एक रुपये का लाभ पहुंचाने में 3.65 रुपये खर्च होता है और जिस एक रुपये को गरीबों तक पहुंचने की बात कही गई है उसके बारे में कृपया सुन लीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में बेबाकी से स्वीकार किया था कि दिल्ली से हम एक रुपया भेजते हैं तो गरीब आदमी तक केवल 15 पैसे पहुंचता है और बुन्देलखण्ड का व्यापक दौरा करने तथा वहां के लोगों से जमीनी हकीकत जानने के बाद श्री राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि गरीब के पास वास्तव में केवल 5 पैसे ही पहुंचते है। गरीबों के लिए योजनाएं अच्छी बननी चाहिएं ताकि उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो लेकिन डिलीवरी सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो पायेगा।

मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अत्यंत समीप बाराबंकी से निर्वाचित होकर आया हूं। ये जनपद राजधानी से इतना नजदीक होने के बावजूद अत्यन्त पिछड़ा है और इसका मुख्य कारण यहां के पिछले 25 साल के दौरान इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी सांसद ने इस सदन में कभी भी न तो कोई प्रश्न पूछा, न ही कोई मामला उठाया। इस लम्बे समय तक उपेक्षित रहे क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तथा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करूंगा। बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। कई तहसीलों में एक भी डिग्री कालेज नहीं है। मेरा विशेष अनुरोध है कि सर्वशिक्षा अभियान को व्यापक रूप देने की योजना है, उसमें बाराबंकी संसदीय क्षेत्र का विशेष सर्वेक्षण कराकर बालिकाओं के लिए हर ब्लाक स्तर पर एक इन्टर कालेज और तहसील स्तर पर एक डिग्री कालेज की व्यवस्था केन्द्रीय योजना के माध्यम से की जाये।

मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि बाराबंकी की रामनगर तहसील घाघरा नदी की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 6 लाख की जनसंख्या प्रभावित होती है, आज तक इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस पहल नहीं की गई। घाघरा नदी पर तटबन्ध बनाये जाने की आवश्यकता है जिसके अनेकों बार प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिवर्ष लोगों के मकान पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और बाढ़ के बाद पुनः अपने गांव में जाकर झोंपड़ी डालकर अपना व अपने परिवार का सिर ढ़कते हैं। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कें बना दी जायें जिससे बाढ़ के समय लोग अपने परिवार, बच्चे व जानवरों को लेकर कम से कम उन सड़कों पर अपना बसेरा बना सकें। ये अत्यन्त भीषण समस्या है और इस समस्या का समाधान शीघ्र किये जाने का अनुरोध है। बाराबंकी

तथा बहराइच के बीच में घाघरा नदी पर हेमतपुर पर पुल बनाने की बहुत दिनों से मांग की जा रही है जिसे अभी केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदन दिया जाना है। यदि यह पुल बन जाता है तो बाराबंकी जनपद का क्षेत्र जो नदी के दूसरे पार है वो जनपद से जुड़ तो जायेगा ही उसके साथ बहराइच के लिए सीधा मार्ग बन जायेगा जिससे पेट्रोल, डीजल के रूप में करोड़ों रुपये की प्रतिवर्ष बचत होगी।

बाराबंकी नगर के समीप विश्व विख्यात देवाशरीफ है जहां पर दुनियाभर से सभी धर्म के लोग वहां पहुंचते हैं। बाराबंकी नगर में लखनऊ–बनारस तथा लखनऊ–गोरखपुर रेलवे फाटक पर घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। बहुत दिनों से यह भी मांग है, इस समस्या के समाधान के लिए एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाये जिससे आम जन को सुविधा होगी और देवाशरीफ पहुंचने में कोई असुविधा नहीं आयेगी।

महिलाओं के लिए आरक्षण की जो केंद्र सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से प्रतिबद्धता व्यक्त की है उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। इस विषय पर सदन में विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये गये। आदरणीय शरद यादव जी तथा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा/विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण के वर्तमान स्वरूप पर घोर विरोध प्रकट किया। सभी की बातें सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ नेताओं में व्यक्तिगत असुरक्षा की भावना है और कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं है। कहा गया कि बड़े–बड़े नेता सदन में नहीं पहुंच पायेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं हमारे वरिष्ठ नेतागण इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत लोग अपनी धर्मपत्नियों के माध्यम से सरकार चलाते रहे हैं, हो सकता है कि उन लोगों को अवश्य कठिनाई होगी जिन्हें ये चयन करना पड़े कि किस पत्नी को वो अपनी जगह राजनीति कराना चाहते हैं। बहुत से बड़े नेता पूरा जोर लगा देते है कि अमुक व्यक्ति न चुना जाये, मेरे लिए लोक सभा चुनाव में प्रदेश की मुखिया ने मुझे पराजित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जितना विरोध किया उतने ही ज्यादा अन्तर से मैं जीता।

ये 50% जनसंख्या को 33% भी नहीं देना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचना चाहिए। हरेक नेता की अपनी कठिनाई हो सकती है लेकिन उस कठिनाई के कारण राष्ट्र को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जाए तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरी प्रबल संस्तुति है कि महिलाओं के लिए आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप अधिनियम लाये।

किसानों को कर्ज माफी का बहुत लाभ मिला और उन्होंने अपनी कृतज्ञता मतदान के माध्यम से व्यक्त की है। बजट भाषण में 31 दिसम्बर, 2007 तक बकाया ऋण को कुछ शर्तों के साथ माफ करने की घोषणा की गयी थी। बजट घोषणा के विपरीत आदेश लागू करने में वर्ष 1997 से 2007 तक की अवधि अंकित कर दी गयी, जो सही नहीं है। 1997 से पूर्व के बकाया ऋण की धनराशि बहुत कम होगी, लेकिन आज भी गरीब व्यक्ति उस बकाया ऋण का बोझ सहन नहीं कर पा रहा है। मेरा प्रबल अनुरोध है कि वर्ष 1997 के पहले के ऋणों पर भी माफी की योजना लागू कर दी जाये।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डॉ. गिरिजा व्यास के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : महोदया, मैं माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अपने साथियों के साथ शामिल हूं। गत पांच वर्षों में संप्रग सरकार ने संप्रग अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व के तहत देश के कई क्षेत्रों में प्रगति हुई और माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगली अवधि के लिए परिकल्पित नई नीतियों को विधिवत उजागर किया गया है।

महोदया, आप देश की विकास दर, लोगों के रहन–सहन के स्तर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र और निसन्देह अन्य क्षेत्रों को देख सकती हैं। हमारे देश ने गत पांच वर्षों के दौरान इतनी शानदार प्रगति की है जो कभी पहले नहीं हुई।

इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिये कि देश के लोग, युवा और बुजुर्ग दोनों ने ही संप्रग सरकार की उपलब्धि को स्वीकार और अनुमोदित किया है। यही कारण है कि लोगों ने भविष्य में ऐसी विकास नीतियों के साथ आगे बढ़ने के लिए संप्रग को स्पष्ट अधिदेश दिया।

विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अभूतपूर्व मंदी के कारण डूब रही हैं और बर्बाद हो रही हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था संप्रग सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों के कारण सुरक्षित है।

किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपये के ऋणों को माफ करने की योजना से न केवल कृषि क्षेत्र को ही बल मिला, बल्कि इससे आत्महत्या के उन मामलों पर भी रोक लगी है, जिन्हें हम लम्बे समय से कई राज्यों में देख रहे थे, यह बहुत प्रशंसनीय है।

युगान्तकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का आगाज़ करके और समयबद्ध विकास कार्यक्रमों की घोषणा करके यह सरकार नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बना रही है जिन्हें प्रथम 100 दिनों में कार्यान्वित किया जाना है, वर्षों में नहीं। आम आदमी उन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त हुई वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा मांग सकता है जिससे उन लोगों में जवाब देही की भावना पैदा होगी जिन्हें समयबद्ध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी भी है।

एक समय सीमा के भीतर महिला आरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने की प्रतिबद्धता पुनः संप्रग सरकार की प्रयोजन के प्रति गंभीरता और ईमानदारी प्रदर्शित करती है। इसके कानून बनने के पश्चात यह समाज में बदलाव लाएगा जो कि श्री राजीव गांधी का सपना था। उनका यह सपना था कि देश निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

26/11 के आतंकी हमले के पश्चात् गृह मंत्रालय द्वारा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है, गोवा पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह विश्व पर्यटन मानचित्र पर सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गोवा में भी उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ केन्द्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाने का व्यापक प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार द्वारा गोवा में उद्योगों को प्राप्त कर छूट को समाप्त किए जाने से गोवा राज्य के उद्योगों पर काफी प्रभाव पड़ा है, कोई भी नए उद्योग गोवा में आने के इच्छुक नहीं हैं और पुराने उद्योग अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। इससे राज्य में रोजगार सृजन प्रभावित हुआ है। हमारा राज्य पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। पर्यटन उद्योग एक मौसमी उद्योग है, यह वर्ष भर रोजगार प्रदान नहीं करता है। *.....(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदया, इन्हें अपना भाषण सभा–पटल पर रखने को कहा जाए क्योंकि ये भाषण पढ़ रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : कृपया, व्यवधान उत्पन्न न करें। मैं बोलना चाहता हूं .....*(व्यवधान)* मैं भाषण नहीं पढ़ रहा हूं। *(व्यवधान)* इस संबंध में अध्यक्ष महोदया निर्णय ले सकती हैं .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, इसे अचानक नहीं रोका जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि कर छूट की जो योजना थी जिसे रोक दिया गया है, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए था जिससे कि राज्य से पलायन कर चुके उद्योग राज्य में वापस आ सकें और बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके।

'एमपीलैड' योजना के संबंध मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हमें प्रति वर्ष 2 करोड़ रु. मिल रहे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बीस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, 2 करोड़ रु. की राशि पर्याप्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे कि इस राशि को बढ़ा कर 6 से 8 करोड़ रु. किया जाए जिससे कि राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों के साथ न्याय किया जा सके।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान (विद्यालय) में हम दो नामों की सिफारिश कर सकते हैं। महोदया, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पांच अथवा छह केन्द्रीय संस्थान है। अतः मैं पुनः यह निवेदन करता हूं कि प्रत्येक सदस्य को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में स्थित प्रत्येक संस्थान में दो विद्यार्थियों के नाम की सिफारिश की अनुमति होनी चाहिए। यह केवल लोक सभा सदस्यों के लिए होनी चाहिए क्योंकि राज्य सभा सदस्य राज्य भर में कहीं भी सिफारिश कर सकता है। ऐसा इसलिए कि अनेक लोग हमारे पास आते हैं और हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाते।

महोदया, स्वर्णिम चतुर्भज के संबंध मैं माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां तीन पुलों का निर्माण होना है दक्षिण में दो छोटे पुल अर्थात गलगिबाग में कैनाकोना और तालपोरना तथा जुआरी में एक विशाल पुल जो कि गोवा की कला का नमूना है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस पर गौर करें जिससे कि इन पुलों पर तत्काल काम आरंभ हो सकें क्योंकि पुल के एलाइमेंट पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। यदि जुआरी पुल में कोई खराबी आती है तो दक्षिण गोवा का संपर्क उत्तर गोवा से कट जाएगा।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गयी सभी बातों की मैं सराहना करता हूं। मैं अपने सहयोगियों और सभा से यह निवेदन करता हूं कि वे इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करें।

महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। श्री कड़िया मुंडा जी को सदन का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं क्योंकि कल जब आपका अभिनन्दन समारोह हो रहा था, मैं उपस्थित नहीं था।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा रचित, लिखित भाषण पढ़कर सुनाया है। मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना है और मोटा–मोटी अध्ययन भी किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार की अगले पांच साल की नीतियों और संकल्पों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़कर हम लोगों का मार्गदर्शन किया है और मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अफसोस नहीं है। जो यूपीए सरकार बनी है, हम वहीं थे और हमने अनकंडिशनल सपोर्ट भी दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उस सरकार के लिए कोई कटु शब्द इस्तेमाल करूं जिसके साथ हम लोग, खास कर मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले कई साल से रहा हूं। कई राज्यों में मैं कांग्रेस पार्टी का फ्री–लांसर था और आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, तो वह इनकी वजह से नहीं है। जनता ने हम लोगों को यहां बैठाया है। हम लोग चार आदमी ही सदन में जीतकर आए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मास–बेस्ड अनआर्गेनाइज्ड पार्टी है, लेकिन सीपीआई और सीपीएम आर्गेनाइज्ड पार्टीज हैं, बीजेपी के बाद हम और सीपीआई बराबर में हैं, हम दोनों को चार–चार सीटें मिली हैं और सीपीएम को 16 सीटें मिली हैं।

मैं खासकर माननीया सोनिया जी और उनके सत्ताधारी दल को, जिसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, को बधाई देता हूं। आडवाणी जी के प्रति, मैं पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा था कि उनकी कुंडली में यह नहीं है, वह बात ठीक निकली है। यह दिल्ली नगरी माया की नगरी है। न जाने कितने बाहर वाले आए, राज किया और चले गए। कितने समाप्त हो गए है और मैं तो यहां निर्गुण की भी बात आजकल सुनता हूं। यह शब्द भी मुझे सुनने को मिलता है। इससे मुझे याद आता है – दूल्हा मर गया, दुल्हन मर गई, मर गई बुढ़िया दादी। यहां कोई स्थाई नहीं है, सबको जाना है। कृष्ण चले गए, राम भी चले गए और रहीम भी चले गए। मैंने देखा कि आपके दल में और बाकी के भी दलों के नेताओं के इर्द–गिर्द कुछ न कुछ ऐसे लिमिटेड लोग छाए रहते हैं, वे न जाने नेताओं को कितना ऊपर आसमान तक चढ़ा देते हैं ...*(व्यवधान)* हमें भी चढ़ाया था। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलता हूं कि राजनीति में ये 'टीटीएम' अर्थात ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग। ...*(व्यवधान)* इनकी कोई क्लास नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुलायाम सिंह यादव जी और माननीय शरद यादव ने जिस बात की तरफ इशारा किया, उसमें काफी दम है। हम लोग यहां आए हैं, बीजेपी वाले भी बैठे हैं, वे भी बैकवर्ड क्लास के विषय में, दलितों के विषय में अब स्वीकार करने लगे हैं। ज्याति बाबू सरीखे नेता और सीपीआई (एम) का भी क्लास स्ट्रगल में विश्वास है। मंडल कमीशन और सामाजिक न्याय की लड़ाई जब हमने तेज की तो ज्योति बाबू को भी स्वीकार करना पड़ा कि इस देश में जाति भी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, हम ऊपर से कितना भी कहें। मुलायम सिंह जी ने जिस बात की चर्चा की, तो मैंने टीवी में एक चैनल पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान सुना कि मुलायाम सिंह कहते रहें, हमारे पक्ष में महिला आरक्षण के बारे में पर्याप्त आंकड़ा है। मैं महिला आरक्षण विषय पर आगे चलकर अपने और अपने दल का नजरिया आपके सामने रखूंगा।

महोदया, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपने 100 दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। मैं भी केन्द्र सरकार में रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री का स्नेह और प्यार हम सभी को मिला। ऐसे नेक इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोनिया जी जैसी भली महिला भी दुनियां में बहुत कम देखने को मिलती हैं ...*(व्यवधान)* सुनिए, मैं यहां टीटीएम नहीं हूं। जिस आदमी में गुण हैं, उसे बताना चाहिए। टीटीएम तो टीटीएम होते हैं। यह जो पहले 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है और स्वर्गीय राजीव गांधी के सम्मान में यह कहा गया है कि अगले पांच साल तक शहरों में जितनी भी झुग्गी–झोंपड़ियां हैं, उन सभी को पक्के मकानों में बदल दिया जाएगा।

दूसरी बात यह भी कही गई है, वादा किया गया है कि 100 दिन कार्यक्रम में प्राथमिकता इस बात पर होगी कि हम बीपीएल के तहत जो परिवार हैं, उन्हें 25 किलो मासिक गेहूं या चावल तीन रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो फिगर भारत सरकार के पास है, वह सही नहीं है, चाहे बिहार की हो या अन्य किसी प्रांत की हो। हर प्रांत में बीपीएल का आंकड़ा सही नहीं है। विगत विधान सभा चुनावों में हमने देखा कि कई राज्य सरकारों ने, जिनमें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की भी हैं, वहां के मुख्य मंत्री और बड़े–बड़े नेता गरीबों को चावल और गेहूं दे रहे थे। यदि केन्द्र सरकार भी गेहूं और चावल बेचना शुरू कर देगी तो मैं समझता हूं कि इस देश के गरीबों को हम क्या दिखाना चाहते हैं। उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ गेहूं, चावल और कुछ पैसा देने से काम नहीं चलेगा, उससे संबंधित योजना का एक्सपेंशन करना होगा। यह अधूरा विस्तार किया गया है। पहले अंत्योदय के माध्यम से विस्तार किया गया था। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंसान को भोजन करने के लिए, नाश्ते के लिए मांस मछली, हरी सब्जियां, फल कैसे मिलेंगे। रोटी के अलावा कड़वा तेल है, घी है, मसाले हैं, उनके लिए पैसा कहां से आयेगा। गरीब आदमी को सूखी रोटी की तरफ, लालच में डालकर, शॉर्टकट रास्ते से, बहुत जगह मैनडेट लोगों ने लिया है। यह जो 100 दिन की बात हमें समझ में नहीं आ रही है, 100 दिन की क्या हड़बड़ी है, यह हमें समझ में नहीं आ रही है। जैसा मैंने कहा कि इन नेताओं

के लिए रहने वाले लोग न जाने किसको क्या सब्जबाग दिखा रहे हैं।

महोदया, जिस राज्य बिहार से मैं आता हूं उसकी तुलना दूसरे विकसित राज्यों से की जाए, मैं किसी विकसित राज्य का विरोध नहीं करता हूं। लेकिन बिहार के लिए लड़ाई, अपना स्वर और आवाज हम बराबर उठाते रहे हैं चाहे कोई भी सरकार वहां रही हो। हमारी भी, सरकार थी, माननीय वीपी सिंह जी की भी सरकार थी, कांग्रेस और एनडीए की भी सरकार थी लेकिन बिहार के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। अगर आप प्लानिंग कमीशन का डाटा देखेंगे तो अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में पर–कैपिटा लोएस्ट इनकम, लोएस्ट इंवैस्टमेंट हुआ है। हां, हाल के दिनों में जब हम लोग सरकार में थे तो अन्य राज्यों के साथ–साथ बिहार को भी मदद की। गाडगिल फार्मूले से बिहार की कायाकल्प होने वाली नहीं है। जिस फार्मूले से हम राज्यों को मदद करते हैं उससे बिहार और अन्य राज्यों का जो गैप है, जो खाई है, या तो स्पेशल केयर करके, स्पेशल ट्रीटमेंट करके छलांग नहीं लगाइयेगा या स्पेशल दर्जा बिहार को नहीं दीजिएगा, तब तक बिहार का कायाकल्प होने वाला नहीं है।

आंध्र प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा हुआ जो बिहार का क्षेत्र है वह पूरा एक्सट्रीमिस्ट का कोरीडोर बन रहा है, वहां नक्सली बढ़ रहे हैं। चुनाव के दौरान वहां के बहुत सारे इलाके में हम लोग नहीं जा सके। आप भी, महोदया, जिस इलाके से आती हैं उस अधवारा के पहाड़ों पर जाने में आदमी सहमता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और जैसा हमने कहा कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दीजिए। हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। बिहार को बराबरी पर लाइये। अगर आप बिहार को बराबरी पर नहीं लाएंगे तो देश के विकास की बात जो आप करते हैं, स्वराज की बात और रामराज्य की बात आप करते हैं वह सपना–सपना रह जाएगा। इसलिए हमारे दल का यह जबर्दस्त अरमान है। सारे अखबारों में, हर जगह, आज नहीं लगातार, हर तबका, वहां की सरकार, वहां की पार्टी के लोग यही चाहते हैं। जब बिहार राज्य का बंटवारा हो रहा था तो माननीय आडवाणी जी मुझे माफ करेंगे, आप लोगों ने कहा था कि हम बिहार को तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं बिहार का बंटवारा नहीं चाहता था, मैंने तो कसम भी खाई थी कि मेरी लाश पर बिहार बंटेगा। लेकिन हम लोगों को जलील करके वह हुआ। मैंने माननीया सोनिया गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया था कि माननीय राजीव गांधी जी ने छोटे–छोटे राज्यों का, राज्य के बंटवारे का विरोध किया था।

आज नेपाल से बिहार आने वाली जो नदियां हैं उनसे बिहार में बाढ़ आती है। आज नेपाल की क्या हालत है। हां, हम लोगों ने स्वीकार किया था कि हम नेपाल से बात करके हाई–डैम बनवाएंगे, लेकिन अब वहां कौन सुनने वाला है। आज बिहार की जो खेती है, क्या स्थिति है? वहां बाढ़ है, कटाव है, वाटर–लौगिंग है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करना स्वीकार किया है। गंगा मां हमारे बिहार को दो खंडों में विभाजित करती है – नार्थ बिहार और दक्षिण–मध्य–बिहार। नार्थ बिहार में डैंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत थिक है, ज्यादा है और बैस्ट फर्टाइल लैंड है, हर साल वहां हमारी तबाही है और रहेगी, अगर आपने वहां पर उचित ध्यान नहीं दिया। वहां पर जब तक हाई–डैम नहीं बनेगा, नदियों की खुदाई नहीं होगी, गंगा नदी के दाएं–बाएं पॉपुलेशन का जो इरोज़न होता है वह नहीं रुकेगा, तब तक बिहार की तबाही होती रहेगी।

हमारे बिहार के लोग दुनिया भर से, अपनी मेहनत से, सबसे ज्यादा दौलत कमा कर देश में ला रहे हैं। लेकिन इन लोगों की क्रैडिट–डिपोजिट रेशो 33 प्रतिशत बिहार में इंवैस्ट होनी चाहिए, लेकिन वह नगण्य है। तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है।

महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है, समय की आपके पास कमी है और हम लोग इस पर, आगे भी चर्चा में भाग लेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सच्चर कमीशन ने सब जगह सर्वे किया तो पाया कि इस देश में, नौकरियों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इनएडीक्वेट है। बिहार में, हमारे राज में कुछ इजाफा हुआ था लेकिन दूसरे राज्यों में उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। सेना में भी सर्वे किया गया था कि मुसलमानों की संख्या क्या है? उस पर काफी उंगली उठाई गयी और उस मुहिम को रोका गया – यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया। सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आई और एक माननीय सदस्य ने कल ठीक ही कहा था। वे बता रहे थे कि मुस्लिम डॉमिनेटेड 90 जिलों को हम लोगों ने चुना, लेकिन उनके लिए पैसा जहां भी गया, वह जमीन पर नहीं उतरा। लेकिन वहां मुसलमानों का डॉमिनेशन नहीं है, वहां के मुस्लिम समझते हैं कि हमारा चयन क्यों नहीं हुआ? रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट है उसे हमें टेबल पर रखना चाहिए। हमारी मुस्लिम बेटियों में शिक्षा की भारी कमी है। बंगला देश, पाकिस्तान और भारत में शिक्षा के ऊपर जब समीक्षा हुई तो मुस्लिम वर्ग में महिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी पाई गयीं। इसलिए शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं को जब तक रिजर्वेशन आप नहीं देंगे, समय पर छात्रवृत्ति नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारी शिक्षा, हमारा विकास अधूरा रहेगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि हम उनको नौकरियों में आरक्षण देंगे।

इस देश में तीसरे और चौथे फेज में जो मैनडेट मिला है, उसे देखें। बंगाल, पूरा ईस्टर्न यूपी, पूरे बिहारी लोग, पूरे माइनॉरिटी के लोग साक्षी हैं कि 80 प्रतिशत लोगों ने सीपीएम को छोड़कर प्रणब बाबू आपको वोट दिया है। ममता जी और आपके कॉम्बीनेशन को बड़ी उम्मीद से वोट दिया है। लेकिन उनके प्रति आपका क्या रवैया है? इस रवैये को आपको सामने रखना चाहिए।

जो हमारा पसंदा मुसलमान है उसे आजादी से पहले, अंग्रेजी सरकार ने एसटी में रखा था, लेकिन जब आजादी मिली, तो जो अदर भाषा के लिंग्विस्टिक लोग थे, उनको रखा गया। लेकिन सन् 1950 के बाद जब हमने विधान बनाया तो आर्टिकल 341 में संशोधन करके उनका जिक्र नहीं किया गया। आज इंसाफ की जरूरत है और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मुसलमान लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं। उस बात का जिक्र आज कहीं नहीं है, इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उसमें हमारा सपोर्ट आपको मिलेगा, जैसे अभी तक मिलता आया है।

एसईजैड का खुमार आज भी बंगाल भोग रहा है। जो हमारी बैस्ट लैंड है, महाराष्ट्र से लेकर दूसरी जगहों तक, वह सिमट रही है, कम हो रही है। हमारा और हमारी सरकार का एसईजैड पर कोई संकल्प आना चाहिए। किसानों की खेती, एनीमल हसबैंडरी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। आज हमारी खेती बरसात पर निर्भर है, सिंचाई का जिक्र कहीं नहीं है कि सिंचाई के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। पंजाब में आज पैदावार कम हो रही है और वह इसलिए कम हो रही है कि खाद पर खाद, फर्टिलाइजर पर फर्टिलाइजर और कैमिकल्स हम जमीन में डाल रहे हैं और हमारी जमीन पॉयजनश हो रही है, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार को इस पर काफी मजबूती के साथ ध्यान देना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो तीन रुपये किलो वाली बात कही है वह सराहनीय बात है लेकिन जो बढ़ई है, लौहार है, सुनार है, हाथ से काम करने वाला आदमी है, कुदाल और खुरपी बनाने वाला तबका है, उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। आज खुरपी और कुदाल टाटा बना रहा है और ये आदमी बेकार हो गए हैं और हम नरेगा में मजदूर बना रहे हैं, उन्हें 100 दिन का काम दे रहे हैं। हमारे लोग जिनका जीवन मिट्टी से जुड़ा था, आज उनके काम को मशीन कर रही है। आज वहां मशीन से काम हो रहा है। बुलडोजर से वहां मिट्टी पाटने का काम हो रहा है। मजदूर तबका वहां तबाह हो गया है। उन्हें दो–तीन रुपए किलो चावल दे कर भरमाया नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी कल्याण सिंह जी को बोलना है। 12 बजे प्रधानमंत्री जी को बोलना है। आपको जितना समय दिया था, उससे ज्यादा आप बोल चुके हैं।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। अब मैं महिला आरक्षण के संबंध में कहना चाहता हूं। माननीय मुलायम सिंह ने कहा कि यह साजिश है। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करता हूं। बैकवर्ड क्लासिस सिटीज़न आफ इंडिया, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां बननी शुरू हुईं, इस देश का अभिजात वर्ग बड़ी चतुराई से मासूम महिलाओं को आगे खड़ा करके बैकवर्ड मूमेंट को डाइल्यूट करना चाहता है। शरद यादव न आए, लालू यादव न आए, न आए मुलायम सिंह और कल्याण सिंह तथा जितने भी दलों का बेस बैकवर्ड क्लासिस है जैसे डीएमके तथा जिन दूसरी पार्टियों का आधार बैकवर्ड क्लासिस है, यह साजिश है कि क्षेत्रीय पार्टियों और उनके लीडर्स को यहां नहीं आने दिया जाए। राहुल जी शायद हाउस में नहीं हैं, हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम महिला रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस देश में आजादी के बाद कितनी हमारी मुस्लिम बहनें एमपी बन कर आई हैं। मिट्टी से जुड़े लोगों को, राहुल गांधी जी ने जब जिक्र किया था, तब हम लोग हंस रहे थे और मज़ाक में बात उड़ा रहे थे, कलावती के विषय में। हम महिला आरक्षण में कलावती को देखना चाहते हैं, भगवती देवी को देखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* आपकी कृपा से राबड़ी देवी तो हैं ही।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : लालू जी आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो। श्री मुलायम सिंह यादव ने हमें ललकारा – तैयार रहो। हम तैयार हैं, चौबीसों घंटे तैयार हैं। तैयार का मतलब यह नहीं है कि हाथापाई करनी है। अगर आप यह सोचेंगे कि आंकड़े हमारे पक्ष में हैं, तब हम खेत में चलेंगे, खलिहान में चलेंगे और बताएंगे कि देश में 20 रुपया आमदनी भी लोगों को नहीं है। इस सदन में हमारी बेटियां आनी चाहिएं। सदन में पहले वाले होम मिनिस्टर साहब नहीं हैं। एक बैठक हुई थी और मैडम उस बैठक में थीं, इन्हें पूरी जानकारी है। आप रिजर्वेशन कीजिए 20 परसेंट या 25 परसेंट कीजिए, लेकिन उसमें कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। दलित हैं, ट्राइबल हैं, मुस्लिम हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। बैकवर्ड क्लासिस को आप विधायक और सांसद पद के लिए आरक्षण दीजिए। जो मोस्ट बैकवर्ड हैं जैसे लोहार, बढ़ई आदि जाति के लोग हैं, जो सीधे चुन कर नहीं आ पाते हैं, उन्हें आप आरक्षण दीजिए। कई बार यही मुहीम चली कि पूरे बैकवर्ड क्लास एमपीज़ की बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि हम लोगों को एमएलए और एमपी पद में आरक्षण होना चाहिए। आप महिलाओं का, हमारी बहनों का आरक्षण कीजिए, हम विरोध नहीं करते हैं। बीस लाख की आबादी पर एक एमपी बन रहा है। मेरा फिर से सुझाव है कि चाहे आप 20 परसेंट रिजर्वेशन कीजिए, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण आप नहीं करेंगे, तो हम मानने वाले

नहीं हैं। यह बात ठीक है कि लोकसभा में बैठने की कम जगह है, आप सैंट्रल हाल में चलिए। सैंट्रल हाल को लोकसभा में कंवर्ट कर दीजिए। राज्य सभा में सीटें बढ़ेंगी, तो उन्हें आप लोकसभा में बैठा दीजिए। राज्य सभा जब खाली होगी, तो अब जैसे सैंट्रल हाल में चाय–पानी पीते हैं, वहां चाय–पानी की व्यवस्था कर दीजिए। सैंट्रल हाल में जितनी भीड़ रहती है, उनकी संख्या आप सीमित कर दीजिए। राज्य सभा की बगल में कैंटीन भी है। आप लोग पावर में हैं, ठीक है, हम खुश हैं, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। जो सहयोगी लोग हैं, चाहे उधर हैं लेकिन हम इधर हैं, सहयोगी लोगों से संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। मैं जो लक्षण देख रहा हूं, शुरुआती दौर ठीक नहीं रहा है, कैबिनेट विस्तार का भी मैसेज बहुत गलत गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी अब आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, आप मेरे यहां से आई हैं इसलिए कुछ तो पक्षपात करिए।

प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जो चाहते थे, मीडिया में जो सब बातें आईं, मैं कोई किसी पर टीका–टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वह बात बदल गई है, इस कारण शुरुआती दौर में मैसेज अच्छा नहीं गया है। देवी सुषमा जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वह खुल कर सामने आएं क्योंकि उमा जी महिला रिजर्वेशन के मामले में खुल कर सामने आई हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यहां ज्यादा महिलाओं को लाया जाएगा तो उनका यहां क्या महत्व रहेगा। देश में सच्ची बात को स्वीकार करके आगे बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन समय खत्म हो रहा है, ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं किसी के आने से असुरक्षित महसूस नहीं करती हूं इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। उनको आने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : अगर कोई नहीं है तो आपका भाई सुरक्षा देने के लिए है। पुरानी सब बातें खत्म हो गई हैं।

महोदया, मैं धन्यवाद देने के साथ–साथ पूरी बधाई इस बात के लिए देता हूं कि नई सरकार बनी है। हमें आशा है कि वह पूरे पांच साल काम करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वह अपने साथियों को भूले नहीं हैं। हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं लेकिन हम लोगों ने आपको जो सहयोग दिया, उसका जो पत्र हमें भेजा, उसके लिए बधाई देते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि आप अपने काम में सफल रहें, सौ वर्ष और जीवित रहें और देश के लिए सौ काम करते रहें। जहां भी हम लोगों के सहयोग की जरूरत होगी, सहयोग देंगे लेकिन कुछ लोगों द्वारा हमारे साथ जो व्यवहार हुआ, मैंने आपको और मैडम को कनवे कर दिया। हम सत्ता में रहें या न रहें, हम 20 साल सत्ता में रहे हैं, गाय, भैंस और बकरी चरा कर आए हैं। हमारे बाप–दादा और हमने कभी सोचा भी नहीं था लेकिन अपमान की जिन्दगी हम जी नहीं सकते हैं। अगर कोई आदमी हमें अपमानित करेगा तो जो भी हमारी शक्ति होगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम इस मामले में संविधान के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। इस तरह के लोग आपके दल में हैं और उन लोगों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, लगता है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं हैं। ऐसे लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बाकी हम लोगों की कोई लालसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, कृपया अपना आसन ग्रहण करिए।

श्री लालू प्रसाद : अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी अंग्रेजी भी अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने पूर्व में आपके द्वारा तैयार भाषण को हिन्दी में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं।

***श्री हरिभाऊ जावले** (रावेर) : माननीया राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत सारे सुनहरे सपने जनता को दिखाये गये। सरकार अपने अगले 100 दिनों में और 5 सालों में क्या काम करने वाली है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। पीने का पानी, सिंचन, रास्ते, शिक्षा, हैल्थ, नदियों की सफाई, ऊर्जा, रोजगार सुविधा आदि सब जनता को लुभाने वाली बातें बताई गईं। लेकिन यह सब करने के लिए पूरे देश में जिनकी सहायता होती है, उन किसानों के लिए कुछ कम ही दिया गया है। किसानों के लिए सिंचन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए एनडीए सरकार ने जो नदी जोड़ योजना की संकल्पना रखी थी, उसे पूरा करना चाहिए। किसानों के लिए ऊर्जा, रासायनिक खादों की उपलब्धता, उनके उत्पादनों को किफायती भावों में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मतदाता क्षेत्रों की पुनर्रचना के बाद ग्रामीण मतदाता क्षेत्रों में गांव बंटे हैं। उनका एरिया बढ़ा है। सांसदों को जो निधि (एम.पी. फंड) मिलती है, वो सिर्फ दो करोड़ मिलता है, उस निधि में पचास गांवों का भी काम सांसद कर नहीं सकते हैं। मेरी मांग है कि सांसदों की निधि (एम.पी फंड) पांच करोड़ करनी चाहिए ताकि पूरे मतदाता क्षेत्र में काम कर सके।

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरून रशीद (थेनी) : मैडम सोनिया गांधी जी के मंगलकारी मार्गदर्शन में और माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की पहल और सुप्रयासों से हमारी यूपीए सरकार ने ऊर्जा और

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

जवाहरलाल नेहरू के शहरी विजन, भूमि अधिग्रहण अधिनियमों पर संशोधन विधेयक, अनुसूचित जाति और अन्य वनवासियों का अधिकार अधिनियम को लागू करने जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से हमारी सरकार की स्पष्ट सोच सामने आई है कि किस प्रकार हमारी सरकार गरीबों और पद दलितों की स्थिति में सुधार और उनके संरक्षण के लिए कार्य करने में रूचि ले रही हैं। यह सब को पता होना चाहिए कि विगत 4 वर्षों के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की लागत से शहरी गरीबों के लिए अभी तक 15 लाख घर बनाए गए हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 25 किलो चावल या गेहूं मिलेगा। इसका लक्ष्य है भूख और भूखमरी से होने वाली मौतों को रोकना। लोगों का साक्षरता स्तर बढ़ा है, जो कि अब पुरूषों में 75% और महिलाओं में 54% है और सरकार एक पृथक राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मिशन का पुनर्गठन कर रही है। इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक महिला साक्षर हो जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। मूलभूत आवश्यकता है ग्राम स्तर पर वांछित अवसंरचना जैसे सड़कों, बिजली, सुरक्षा, जल, सीवरेज, टेलीफोन और आवास की स्थिति में सुधार करना। यह दर्शाता है कि मैडम सोनिया गांधी जी के मंगलकारी मार्गदर्शन में ही हमारी कांग्रेस नीत सरकार ने जरूरतमंद गरीब लोगों के महत्व और सिविल सोसायटी में उनकी स्थिति के अंदर सुधार करने की ओर समुचित ध्यान दिया है। यद्यपि अल्पसंख्यक शिक्षा, संस्कृति, नागरिक सुधार, व्यापार के क्षेत्र में पीछे हैं और उनको बैंकों से भी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है और सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में हमारे देश के सभी जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर पत्र लिख गए हैं जिससे उन सब अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए हैं। अर्ध सरकारी 15 सूत्री कार्यक्रम का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को सरकारी/अर्धसरकारी विभागों द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाता है। पहले तो हमारी सरकार को चाहिए कि वह वक्फ की सम्पत्ति पर कब्जा जमाए बैठे लोगों, चाहें वे कोई भी हों और कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, से समुचित किराया वसूल करने के लिए कदम उठाए।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम से स्पष्ट पता चलता है कि हमारी सरकार द्वारा किसानों को दिए गए संरक्षण का सभी कृषक समुदायों चाहे वे किसी भी धर्म से हों, द्वारा स्वागत किया गया है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापा पेंशन के लिए आयु को घटाकर 65 वर्ष की बजाय 60 वर्ष कर दिया जाए। मैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के विधेयक को पारित करने और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के प्रयासों की सराहना करता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक वर्ष के दौरान काम की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाना चाहिए और संबंधित पंचायत प्रधानों/अधिकारियों जैसे प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाना चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। मेरा अपनी सरकार को यह विनम्र सुझाव है कि हम बी. पी. एल. कार्ड धारियों को 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। पंचायत अधिकारियों, प्रधानों द्वारा गरीब व्यक्तियों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को हड़पे जाने से रोकने के लिए बी. पी. एल. कार्डधारियों को बैंकों में अपने खाते खोलने चाहिएं या सीधे ही उनकी मजदूरी बैंकों को दी जाए ताकि बिचौलियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके। मैं फ्लैगशिप कार्यक्रमों और आईकॉनिक परियोजनाओं तथा रेलवे, राजमार्ग, बन्दरगाह, ग्रामीण दूरसंचार से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में डिलीवरी मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना करने का भी स्वागत करता हूं। हमारी सरकार को सरकार के प्रत्यक्ष निवेश को रोकने के लिए निजी/सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बनाओ, चलाओ और सौंप दो नीति को अपनाना चाहिए। केरल में प्रति वर्ष 2500 टी. एम. सी. पानी समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। मुलै पेरियार नदी पर 136 फीट ऊंचा और 12 टी. एम. सी. क्षमता का बांध बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी ऊंचाई को बढ़ाकर 142 फीट करने का आदेश दिया है लेकिन इस आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है ... केरल सरकार के विरुद्ध हमारी सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

केरल सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश को न मानने की क्या संवैधानिक वैधता है। भारत के लोगों का सबके लिए सुरक्षित पेयजल का सपना कब तक पूरा होगा। हमारी सरकार नदियों के जल को आपस में कब जोड़ेगी और सरकार कब इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। मैं सरकार से हमारे देश के व्यापक हित और एकता के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का आग्रह करता हूं। मैं अमरीका के साथ नाभिकीय करार पर हस्ताक्षर करने और उसे संसद में उस समय पारित करवाने जब कम्युनिस्ट पार्टियां समर्थन वापस लेने की धमकी दे रही थीं, के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए निर्भीक कदमों और

साहस की प्रशंसा करता हूं। पूरे विश्व की नजर में हमारे राष्ट्र की छवि और प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता में निखार आ गया है। महोदया, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर में लगभग एक लाख मेगावाट पन बिजली उत्पादन क्षमता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कोयला ताप और सिविल न्यूक्लियर संयंत्रों पर भी और अधिक धन खर्च किए बिना लोगों को ऊर्जा बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। पन बिजली में उत्पादन लागत केवल 50 पैसे प्रति यूनिट होती है जबकि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की लागत और अधिक होती है। हमारी सरकार ने ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, टिकाऊ कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन जैसे पृथक मिशन स्थापित किए हैं। इसी प्रकार सरकार को पन बिजली उत्पादन आयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा।

महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने श्रीलंका के तमिलों के लिए स्पष्ट रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया है। महोदय, उनको भी देश में सिंहलियों के समान बराबरी के अधिकार मिलने चाहिएं।

भारत सरकार को श्रीलंका की तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तमिलों को आत्म सम्मान और गरिमा के साथ जीवनयापन करने का अधिकार मिलना चाहिए। तमिलनाडु में कुछ संगठन अफवाहें फैला रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही और कुछ लोग उत्तेजक भाषण भी कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखण्डता के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों और पर कार्यवाही की जाए और उन लोगों जो इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी अफवाहें फैलाकर तुच्छ लोगों के लिए देश के हित को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (एटा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि सदन की सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। मैं माननीय कड़िया मुंडा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से सदन के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का समय दिया। मैं जानता हूं कि समय कम है इसलिए बहुत कम समय में केवल एक ही इश्यू के बारे में बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मेरा मुद्दा कि सामाजिक न्याय को अमली–जामा पहनाने का है। सामाजिक न्याय की मोटी–मोटी परिभाषा है – दबे, कुचले, उजड़े, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित और युगों से वंचित वर्गों को सत्ता, व्यवस्था, विकास, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में सम्मानजनक और पारदर्शी हिस्सेदारी देना है। इस संदर्भ में महिला आरक्षण का प्रश्न महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 33 परसेंट आरक्षण विधानमंडलों और संसद में देने का जिक्र किया है। सरकार की भी यही मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि देश में महिलाओं की जनसंख्या 50 फीसदी के आसपास है। कोई भी देश या समाज इस 50 प्रतिशत आबादी को उपेक्षित करके आगे नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि आजादी के 62 साल के बाद भी अभी तक महिलाओं को वह तरक्की, प्रगति और सम्मान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। 33 परसेंट आरक्षण की बात कही गई है सिद्धांततः मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि 33 परसेंट आरक्षण में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, अर्थात कोटे के अंतर्गत कोटे का प्रावधान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल अभिजात वर्ग के 15 प्रतिशत का जो सामाजिक वर्ग है, वही लोग सत्ता, व्यवस्था और राजनीति में हावी होंगे और 85 प्रतिशत समाज फिर से अधिकारों से वंचित रह जायेगा। वह न सत्ता में आ पाएगा और न ही राजनीति में अपना वर्चस्व कायम कर पाएगा। यह सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। आज का मुद्दा ऐसा है जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं कहूंगा कि जो भी पार्टियां या माननीय सदस्य सामाजिक सिद्धांत के पक्ष को ठीक मानते हैं, यदि सामाजिक न्याय से सहमत हैं, उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की मांग करनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश काम कर रही है। मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहूंगा – चाहे सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हैं कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है ताकि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सत्ता से दूर रखो, राजनीति से दूर रखो और विकास से भी दूर रखो। इसके बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं। अगर आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया गया तो इससे समाज में बहुत कटुता पैदा होगी। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इसमें आपत्ति किसी को क्यों हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण करना, ठीक नहीं है।

माननीय राजनाथ सिंह जी मेरे सामने बैठे हैं। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 27 परसेंट ओबीसी के आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटा था। 5 परसेंट में यादव रखे गए थे और शायद 9 जातियां 8 परसेंट में और शेष जातियां 14 परसेंट में रखी गई थी। अगर उत्तर प्रदेश में आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण उचित था तो माननीय आडवाणी जी बता दें कि यहां दिल्ली में आरक्षण में आरक्षण क्यों अनुचित है। मैं

जब भाजपा में था तो इस विषय को बार–बार उठाया करता था लेकिन उस वक्त मेरी किसी ने बात नहीं सुनी थी। आज मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी साजिश काम कर रही है। मैं डरता हूं कि कहीं यह साजिश कोई दूसरा रूप न ले ले। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह 85 बनाम 15 परसेंट की लड़ाई है और 15 परसेंट के लिए सब को होम किया जा रहा है। इसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। वह संघर्ष का रास्ता अपनाएगा। इसलिए कोई रास्ता निकालें जिससे कोई संघर्ष का रास्ता न अपनाए। सरकार चाहे तो इसे कर सकती है। सरकार इसमें कोई प्रावधान करे। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या दिक्कत है? आप पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों को हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसके पीछे क्या नीयत है?

मैं शरद यादव जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, वह बुरा न मानें। वह एनडीए के संयोजक हैं। एनडीए में आज कोई बड़ी शक्ति भाजपा के बाद अगर किसी की है तो उनकी है। वह एनडीए को क्यों तैयार नहीं करते, क्यों भाजपा को तैयार नहीं करते, क्यों आडवाणी जी से यह बात नहीं करते हैं? अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो वह किस बात के लिए इनके साथ हैं? ईमानदारी का तकाजा यह है शरद जी, अगर सामाजिक न्याय को अमली–जामा पहनाना चाहते हैं तो एनडीए से दो–टूक कहना पड़ेगा कि या तो आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण का समर्थन करो अन्यथा हमें विदाई दो। माफ करिए बातों से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है। बहुत दिनों तक समाज को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। शोषण बहुत हो चुका है। हम लोग बहुत मुश्किल से 25–30 और 50 साल बाद यहां आ पाए हैं। अब फिर हमें सौ साल पीछे धकेला जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : आप कांग्रेस से समर्थन क्यों वापस नहीं लेते हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए। माननीय कल्याण सिंह जी, आप इधर संबोधित करिए।

श्री कल्याण सिंह : महोदया, मैं पुनः आपके माध्यम से सदन, सरकार और विपक्ष से मांग कर रहा हूं कि सामाजिक न्याय की खातिर अपना दिल चौड़ा करिए, विचारों को उदार बनाइए। उजड़े, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं को भी हिस्सेदारी दीजिए। कोई जेब से नहीं जा रहा है, जो 33 प्रतिशत दे ही रहे हो तो यदि आवश्यकता पड़े तो उसे 50 प्रतिशत कर दीजिएगा, लेकिन अगर पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है तो समाज के साथ यह बहुत बड़ा धोखा होगा और धोखे के खिलाफ जनता फिर सड़कों पर निकलेगी। मैं नहीं चाहता कि जनता सड़कों पर आए। इतनी बात कहकर मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

[अनुवाद]

***श्री डी. वी. सदानन्द गौडा** (उदूपी–चिकमंगलूर) : देश की जनता द्वारा नया जनादेश दिए जाने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को बहुत सी आशाओं के साथ सत्तारूढ़ किया गया है। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी हम देश के दूर–दराज के गांवों में पेयजल, सफाई, आवास, सड़क, स्कूल जैसी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता तक पहुंचने और उन लोगों की आवश्यकताओं को अविलंब पूरा करने का यह सही समय है।

मेरे विचार से कृषकों, मछुआरों, बुनकरों और श्रमिकों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, जो अभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2007–08 के दौरान ऋण माफी योजना कृषकों तक बिल्कुल नहीं पहुंची। विशेष रूप से कर्नाटक के कृषकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा से बहुत पहले ही कर्नाटक सरकार ने 25000/– रुपए की सीमा तक ऋण और ब्याज माफी की योजना चला रखी थी। अतः केंद्र का यह कर्तव्य बनता है कि वह कर्नाटक सरकार को लगभग 2500 करोड़ रुपए की उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करे।

मैं कॉफी उत्पादकों के समक्ष आ जा रही समस्याओं के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार–चढ़ाव हो रहा है और कॉफी के पौधे 'छेदक रोगों' से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं इसलिए संपूर्ण कॉफी उद्योग इसकी मार झेल रहा है और यदि वाणिज्य मंत्रालय कॉफी उत्पादकों के बचाव के लिए आगे नहीं आता है तो यह संपूर्ण उद्योग बंद होने के कगार पर आ जाएगा। मैंने पूर्ण सांख्यिकी एवं ब्यौरों के साथ पूर्ववर्ती सरकार से यह अनुरोध किया था और वाणिज्य मंत्री ने कॉफी उत्पादकों की मदद करने का वचन दिया था परंतु आज तक कुछ नहीं किया गया। मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह आगामी बजट में कॉफी उत्पादकों के लिए ऋण माफी का विशेष पैकेज लाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के मछुआरा समुदाय के लिए कभी किसी सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे देश में लगभग 3000 किलोमीटर की समुद्री सीमा है और दो करोड़ से भी ज्यादा लोग मछली पकड़कर जीवन यापन कर रहे हैं। सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा मछुआरों की व्यावहारिक समस्याओं का समुचित अध्ययन नहीं किया गया है और समाज के इस बड़े वर्ग को आवश्यक मदद नहीं दी गई है।

मछुआरा परिवारों के सामने आ रही समस्याओं में से एक समुद्र–अपरदन है। प्रति वर्ष हजारों घर समुद्र के पानी में बह जाते हैं। इस संबंध में तैयार की गई योजनाएं और कार्यक्रम केवल भाषणों और कागजों तक सीमित हैं। तटीय कर्नाटक में 300 किलोमीटर की समुद्री खाड़ी है और प्रतिवर्ष हजारों एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त हो रही है, हजारों मछुआरों के घर समुद्र में बह जा रहे हैं। वर्ष 1998 से कर्नाटक सरकार ने 138 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हें जो जल संसाधन विभाग के पास लंबित हैं और ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इस मामले में कई शिष्टमंडलों और चर्चाओं का कोई लाभ नहीं हुआ और आज भी केंद्र से मदद के बिना मछुआरों के परिवार उक्त समस्या से जूझ रहे हैं। मैं सरकार से इस मामले पर कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह समस्या गंभीर प्रकृति की है।

आज नक्सलवाद हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दूरस्थ क्षेत्रों में और उसके आस–पास रहने वाले जनजातीय और अन्य लोग उग्रवादियों के कारण मुसीबत में हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक के चिकमंगलूर, उदूपी, दक्षिण कन्नड़ जैसे जिले नक्सली गतिविधियों का केंद्र हैं। इस दिशा में सुधार और कड़ी कार्रवाई दोनों समय की मांग हैं। नक्सलवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए केंद्र को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

विश्व के विकसित राष्ट्रों में से एक बनने के लिए अगले पांच वर्ष हमारे देश के लिए चुनौती भरे हैं। हम सभी को इस चुनौती को पूरा करने में सहयोग देना चाहिए। हमारी कार्य योजना राजनैतिक प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एजेंडा में होना चाहिए, मुझे आशा है कि हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र का निर्माण करने के अपने उद्देश्य में सफल होंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं संसद मे भारत की राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण का स्वागत करता हूं, परंतु मैं अपनी बात आपको बधाई देने से शुरू करूंगा।

महोदया, मेरे विचार से जब हम भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कही गई बातों का विश्लेषण और उन पर टिप्पणी करते हैं, तो हमें भारत की जनता द्वारा यूपीए सरकार को दिए गए ऐतिहासिक जनादेश के संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत की जनता ने घृणा की जगह आशा को चुना है; भारत की जनता ने कट्टरता की जगह उदारता को अधिमान दिया है; भारत की जनता ने अनन्य विकास की जगह सर्वसमावेशी शासन और सर्वसमावेशी कल्याण को चुना है; भारत की जनता ने फूट डालने वाली राजनीति की जगह सर्वसमावेशी राजनीति को वोट दिया है; भारत की जनता ने 'इंडिया शाइनिंग' की जगह 'भारत निर्माण' को चुना है। मेरे विचार से यह जनादेश हमारी शासन–प्रणाली में परिवर्तन बिंदु का प्रतीक है, मैं आशा करता हूं कि यह परिवर्तन आगे बढ़ाया जाएगा।

भारत की जनता ने श्रीमती सोनियां गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास दिखाया है, भारत की जनता ने श्री राहुल गांधी के विचारों में जो आशा की किरण देखी है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार युवा वर्ग ने इस जनादेश में भागीदारी की है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। मैं माननीय राष्ट्रपति की टिप्पणियों का स्वागत करता हूं। चूंकि समय सीमित है, अतः मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा कही गई कुछ बातों को नहीं दोहराऊंगा और हम इन सभी बातों का स्वागत करते हैं।

मेरे विचार से, मैं केवल दो या तीन मुद्दे उठाना चाहूंगा जो मुझे लगता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि हम इस ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान करते हैं, सर्वप्रथम, हमने प्राथमिकता के जो दस व्यापक क्षेत्र चिन्हित किए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। हमें अपने समाजवादी एजेंडे की दिशा में आरंभ की गई यात्रा को जारी रखने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ केवल सामाजिक क्षेत्रों–शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अवसंरचना में व्यय को ही नहीं बढ़ाना है बल्कि हमारे देश के गरीब और असुरक्षित लोगों को दिए जा रहे सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ाना भी है।

हमें यह बात सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि शासन सुधार जिसे मेरे विचार से हमारे देश का युवा वर्ग और कर्मठ लोग भी यह सुनिश्चित करने के बड़े उत्सुक हैं कि हम जो करें उसे और आगे बढ़ाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि शासन सुधार कोई नयी बात नहीं है। हमने पहले भी शासन सुधार की बात कही थी आज सुबह ही मैं श्री विवेक देबराय का एक लेख पढ़ रहा था जिसमें यह बताया गया था कि 18.12.2004 से अब तक हमने शासक सुधारों से संबंधित 73 आयोगों का गठन किया और उन्होंने सुझाव भी दिए हैं।

परंतु अपने देश में अभी भी हम यह पाते हैं कि विशेष तौर पर युवा वर्ग को न्याय प्रदान करने वाले तंत्रों, सरकारी तंत्रों पुलिस और प्रशासन में विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों है? हम समय से पिछड़ गए हैं। तो आइये हम समय के साथ चलें। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण बातों में से एक है और हमारी सरकार को यह महत्वपूर्ण बात सुनिश्चित करनी चाहिए।

दूसरे मुद्दा मैं कृषि के बारे में शीघ्र कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, जो आज हमें यह ऐतिहासिक जीत मिली है, हिन्दुस्तान के किसान का इस जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार लोगों ने वादे किए। लोगों ने कहा कि कर्जे माफ करेंगे और जितने वादे किये, उसके बीस प्रतिशत भी कर्जे माफ नहीं किये। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कोई वादा नहीं किया लेकिन किसान की हालत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देखी और देश के किसान के 72000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किये। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें जो वर्डिक्ट मिला है, इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है।

[अनुवाद]

*मैं अपनी बात इस बात से आरंभ करता हूं कि हम सभी का संदर्भ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गई टिप्पणियों पर चर्चा करना है। कांग्रेस पार्टी तथा सप्र.ग. को निर्णायक बहुमत मिला है। मेरे विचार से यह जनादेश कोई सामान्य जनादेश नहीं है, यह हमारी राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यह निर्णायक जनादेश से प्रगतिशील जनादेश की ओर परिवर्तित हो रहा है। भारत के लोगों ने नफरत के बजाय आशा, उग्रवाद के बजाय आधुनिकता को प्राथमिकता दी हैं। उदारीकरण के पश्चात के विकास कार्यों का फल अब हमारे गावों, छोटे शहरों, कमजोर वर्गों और वे लोग जिन्होंने यह जनादेश दिया है को मिल रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वास्तविक अर्थों में बदलाव लाने में सफल रहे हैं।

जब मैंने दूसरे दिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया की टिप्पणियां सुनी, तो मैंने उन्हें ऐतिहासिक जनादेश की पृष्ठभूमि में सुना और मैं यह महसूस करता हूं कि उनकी टिप्पणियां हमारे देश में अभी भी व्याप्त मतभेद को पाटने के लिए सामाजिक एजेंडे का वायदा करती है।

बिना समय व्यर्थ किए मैं महामहिम राष्ट्रपति के पूर्ण भाषण का स्वागत करते हुए अन्य सुझाव रखता भी हूं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि उन पर भी विचार किया जा सकता है।

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

समेकित सुझाव :

मैं सभी सामाजिक क्षेत्रों, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना और स्वास्थ्य के व्यय को बढ़ाने तथा विकट परिस्थितियों में हमारे नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के सामाजिक ऐजेंडे पर दिए जा रहे बल का स्वागत करता हूं।

कम होती वैश्विक पूंजी के समय अवसंरचना हेतु, सरकारी व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि एक असमान्य बात है। यद्यपि जैसा कि अलन ग्रीनस्पैन ने कहा है बढ़ा–चढ़ाकर खर्चीले युग में स्टाक बाजार के बारे में उच्च विचार नहीं है, मुझे आशा है कि अवसंरचना हेतु नवीनतम वित्त और लोक बजट की योजना ने दलाल पथ पर लोगों को प्रसन्न किया है।

अब वर्ष 2009 के लिए बड़ा प्रश्न यह है कि घाटे में बढ़ोत्तरी को नजरअंदाज करते हुए मांग बढ़ाने के लिए सरकार कितना व्यय कर सकती है।

मैं इंगित किए गए दस बडे प्राथमिकता के क्षेत्रों का स्वागत करता हूं।

शासन सुधार महत्वपूर्ण हैं, परंतु यह नयी बात नहीं है।

विवेक देवराय ने बताया था कि 1812 से लेकर 2004 तक प्रशासनिक सुधार के विषय पर 73 विभिन्न आयोग प्रतिवेदन दे चुके हैं।

इसके परिणामों पर गौर किए बिना इस बार इसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि हमारा देश युवा और कर्मठ लोगों का देश है।

लोग शायद इसी बात के लिए वोट देते होंगे, परन्तु उन्होंने और अधिक परिवर्तन लाने के लिए भी वोट दिया है।

कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है

ऋण

कर्ज माफी एक ऐतिहासिक कदम था, परंतु ऋण माफी के लिए और व्यापक दृष्टिकोण बनाने हेतु हमें परिणामी कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमें उन किसानों को राहत देने की आवश्यकता है जिन्होंने ब्याज के साथ पैसा समय पर चुका दिया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी इसका वायदा किया गया था।

हमें किसानों को साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए उनके ऋण को सहकारी बैंक के ऋण में परिवर्तित कर देना चाहिए।

हमें किसानों को भण्डारण आमद के एवज में ऋण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

हमें वर्तमान 7% (घोषणा पत्र) की ब्याज दर को घटा कर 4% कर देना चाहिए और बिचौलियों, अनावश्यक शर्तों तथा गारंटी की आवश्यकता को हटाकर ऋण प्रदान करने को और सरल बनाया जाना चाहिए।

अब समय आ गया है जब हमें भारत में भूमि की नीलामी के प्रतिबंध पर विचार करना चाहिए।

कृषि योग्य जोतों को गिरवी रखने के बजाय किसानों से समपार्शविक मूर्त जमानत ली जाए।

राज सहायता

अब समय आ गया है कि जब हमें किसानों को सीधे नकद राजसहायता देने पर विचार करना चाहिए। राजसहायता फसल और जोतों के आकार पर आधारित होनी चाहिए।

वर्ष 2008–09 के अनुमानों में हमें 96,000 करोड़ रुपये की उर्वरक राजसहायता मिलने वाली है। इस स्थिति को फिक्स करने की अत्यन्त आवश्यकता है। फिक्सिंग प्राईस : 5000 करोड़ रुपये

न्यूनतम समर्थन मूल्य :-

- विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई ऐतिहासिक वृद्धि की हमें जनादेश दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में स्वामीनाथन आयोग और कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को विशेष रुप से स्वीकार किया जाए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने में लागत का दो गुणा +50% प्रीमियम का सूत्र अपनाया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त सी.ए.सी.पी. लागत गणना के सूत्र को क्षेत्रीय अन्तरों (सिंचाई, श्रम और भूमि की लागत) को पूरा करने के लिए बदला जाए और इसमें विपणन और परिवहन की लागत भी शामिल होनी चाहिए।
- किसान को ध्यान में रख कर ही निर्यात नीति का निर्धारण किया जाए।

अनुसंधान : मैं दूसरी हरित क्रांति का सूत्रपात करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निबटने के लिए भारतीय कृषि, अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए और अधिक निधियों की मांग करता हूं।

हरियाणा के लिए :- योजना आयोग की सबके लिए एक समान नीति पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।

गरीबी रेखा से नीचे : - गरीबी का निरपेक्ष रूप से आकलन नही किया जा सकता। इसका सदैव यथार्थ रूप से आकलन किया जाना चाहिए। गरीबी रेखा को किसी राज्य विशेष में रहन सहन की लागत का आकलन कर अलग–अलग राज्य के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए।

भारत निर्माण : - हमें हर गांव में सड़क और बिजली पहुंचाने के लिए दंडित किया जा रहा है। इसलिए हरियाणा जैसे राज्यों को भारत निर्माण जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों में भागीदार बनाने के लिए कुछ अन्य विशेष वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम : बाजार में मजदूरी की उच्चतर दर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निस्प्रभावी हो रहा है।

इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त योजनाओं की जरूरत है।

समान रैंक समान पेन्शन : स्वागत योग्य कदम है और इसको शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

हमें यमुना नदी पर धारा के विपरीत बान्धों जैसे रेणुका, लश्कर व्यासी और किसाऊ के निर्माण कार्य में तेजी लानी चाहिए ताकि हम हरियाणा जैसे राज्यों में सतह के जल, जो बंगाल की खाड़ी में बह जाता है, का सिंचाई के लिए उपयोग कर सके।

हमे जल धाराओं से संबंधित अन्तर्राज्यीय मुद्दों को शीघ्रतापूर्वक हल करना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, मैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के लिए केवल 5000 करोड़ रुपये ही मांग रहा हूं। हम दिल्ली में और अधिक धन खर्च करने और उन सभी क्षेत्रों जो इसकी सीमा से बाहर हैं, की उपेक्षा करके जो खाई पैदा कर रहे हैं, को नजरअंदाज किस प्रकार कर सकते हैं? जनता का फैसला सर्वसमावेशी विकास के पक्ष में हैं। दिल्ली के विकास में हरियाणा में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए।*

[हिन्दी]

***श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं, जिसमें देश की अखण्डता एवं सुरक्षा के साथ–साथ सभी वर्गों की परेशानियों को ध्यान में रखा गया है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सिंचाई, गरीबों को खाद्य सुरक्षा, महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन, अल्पसंख्यक कल्याण, आतंकवाद एवं सुरक्षा आदि अधिकतर सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे लोगों में आशा की एक किरण जागी है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहती हूं, कि इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को देखना भी जरूरी है। मौजूदा आर्थिक हालात में धन जुटाना बड़ी चुनौती है। आज बेरोजगारों को नौकरियां देना अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सबसे पहले राजकोषीय घाटे को रोकना भी महत्वपूर्ण है।

देश में आतंकवाद व सुरक्षा का मुद्दा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए इन मुद्दों पर सभी दलों व विशेषज्ञों से राय मशविरा कर कानून बनाकर आतंकवाद को रोकना व देश को सुरक्षा देना जरूरी है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब पिछली यू.पी.ए. सरकार को परमाणु करार के कारण संकट आया, तब हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव व श्री अमर सिंह साहब ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से राय मशविरा कर सरकार को संकट से बचाया था। हमारी समाजवादी पार्टी ने हमेशा साम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सरकार का साथ दिया। भविष्य में भी देश से आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए हर तरीके से सहयोग देगी।

आज किसान और खेती उपेक्षित हैं, जबकि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। महंगाई के कारण देश में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक भुखमरी के शिकार एक चौथाई लोग भारत में रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भूखे के लिए खेती को भगवान मानते थे। इसलिए किसानों को सुविधाएं दिया जाना जरूरी है, किसानों को 4% वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाये, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाये, कृषि योग्य भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण न हो, सिंचाई के साधनों का इन्तजाम मुफ्त हो तथा राष्ट्रीय जल नीति बनायी जाये।

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कम मजदूरी एवं अनियमित रोजगार के कारण मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। समाजवादी पार्टी "काम" के अधिकार को मौलिक अधिकार मानती है और काम न मिलने पर बेकारी भत्ता दिये जाने की समर्थक हैं।

सरकार विशेष जोखिम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर विचार करना चाहती है, इसके लिए सरकार को किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर ही बुनकरों एवं बीड़ी मजदूरों का विद्युत बकाया माफ करना चाहिए एवं विशेष पैकेज देना चाहिए।

रिक्शा चालक, ठेले वाले, फलवाले, समान ढोने वाले मजदूर भाईयों आदि को सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना एवं रिक्शा आदि साधनों को खरीदने के लिए सब्सिडी एवं पैकेज आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

फिल्म इण्डस्ट्री में लाखों लोग मजदूरी का कार्य करते हैं जैसे – कैमरा स्टैण्ड उठाने वाले, स्टेज को सजाने वाले, फर्नीचर का सामान उठाने वाले आदि, लेकिन उनको सरकार की ओर से सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जबकि फिल्म इण्डस्ट्री से करोड़ों रुपए का राजस्व भी सरकार प्राप्त करती है। इसलिए फिल्म इण्डस्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए भी विशेष सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बुरी हालत है। लोगों को बिजली नसीब नहीं हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सब–स्टेशन बनाये गये हैं वह बन्द पड़े हुए हैं। गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। जहां विद्युतीकरण हो गया है, वहां भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। ग्रामीण स्तर पर उद्योग धन्धे पूरी तरह से बन्द हो गये हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला मिशन के रूप में पुनर्गठित करने का सराहनीय कार्य किया है, लेकिन सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बी. ए. तक पढ़ाई मुफ्त हो, इण्टरमीडिएट पास होने पर हर लड़की को उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में चलायी गई "विद्या धन" योजना की तर्ज पर पूरे देश में इसे लागू किया जाये।

जहां सरकार अल्पसंख्यकों, पिछड़ों एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनायें चलाने की बात करती है, वहीं उसे चाहिए कि पिडड़ा वर्ग, मुसलमानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करे और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा मेडिकल कालेज व आई.टी.आई. आदि शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाये।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपने अभिभाषण में उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के पहलू को छुआ है।

महामहिम जी का चिंतन ग्रामीण भारत के समग्र विकास पर केन्द्रित है। इस विषय पर मैं अपने अनुभव बांटना अपना कर्तव्य समझती हूं।

भारत सरकार को गरीब निर्धन सिनेकर्मी, मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनके विकास के लिए रोजगार पूरक विकास योजनाएं एवं सहायता के लिए अनुदान की व्यवस्था करना आवश्यक है। विशेष आर्थिक पैकेज स्वास्थ्य केन्द्र – बीमा योजना, आवासी योजना – अच्छे स्कूल एवं ऋण की सुविधा देनी चाहिए।

महिलाओं का आरक्षण ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के अनुपातिक आधार पर हो।

असंगठित क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाले मजदूर जो विंध्याचल या राजस्थान की पहाड़ी में पत्थर तोड़ते हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी हैं। पत्थर तोड़ते समय निकलने वाले सिलिका से वे टी.बी. रोगी हो जाते हैं और वे युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लड़कियां युवा अवस्था में विधवा हो जाती हैं। जंगलों से लकड़ी बीन कर लाती हैं। बाजार में बेचती हैं। तब जाकर घर में खाना बनता है। यह दशा चित्रकूट मानिकपुर उ.प्र. विंध्याचल पर्वतमाला में देखी जा सकती है। इन विधवाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और शिक्षा तथा आवास हेतु आर्थिक पैकेज जारी किया जाये।

सरकार को शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए ज़रूरी है कि पहले लोगों के दिलों की आवाज़ को सुने और फिर सुधार करे। यह आम लोगों की धारणा है कि सत्ता में बैठे लोग देश भर में न केवल अपने राजनैतिक विरोधियों का, बल्कि तमाम निर्दोष गैर राजनैतिक व्यक्तियों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है।

देश में साम्प्रदायिक सद्भावना को स्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज सरकारी नीतियों के कारण एक ऐसा माहौल बन गया है, जहां चारों ओर लूट ही लूट है। देश में अहिंसा की जगह हिंसा, आत्म सम्मान की जगह चाटूकारिता, भाईचारे की जगह नफरत, सादगी की जगह विलासिता ने ले ली है। सारा देश सत्ता के संरक्षण में अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा रखते हुए देश के गरीब वर्ग के लिए कार्य करना होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्मानीय सभा के सभी सदस्यों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का इतना विचारोत्प्रेरक अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा कई अन्य गणमान्य लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

हमारे गणतंत्र में एकता की भावना के महत्व को मैं समझ सकता हूं। कौन–कौन से कार्य अभी हमें करने हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या–क्या करना चाहिये? श्री आडवाणी जी ने कहा था कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिये। यह बात मैं कुछ समय से कहता आ रहा हूं। मैंने विक्टर ह्यूगो का उद्धरण देते हुए वर्ष 1991 में कहा था "कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति ऐसे किसी कार्य को होने से रोक नहीं सकती है जिसका समय आ गया हो" और मुझे पूरा यकीन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक राजनीति में भारत का एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना एक ऐसी बात है जिसके साकार होने का समय आ गया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश के इस अभीष्ट लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे रहे हैं।

सभी दलों के नेताओं के भाषणों का रूझान काफी रचनात्मक है तथा मेरे विचार से पहले माननीया अध्यक्ष तथा तदुउपरांत माननीय उपाध्यक्ष का एकमत से चुना जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत है। हमने एक नई शुरूआत की है। मेरी यही आशा और प्रार्थना है कि जब भी हमारी असंख्य राष्ट्रीय समस्याओं तथा सरोकारों की बात चले तो हम द्विदलीय भावना को अक्षुण्ण रखें जिससे हमारे देश को जूझना पड़ता है।

महोदया, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना तथा बाद में सरकार का गठन किया जाना, वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की एक भारी जीत है। हमारा अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना उचित हो सकता है। अनेक लोग जो यह मानते थे कि संसदीय लोकतंत्र भारत जैसे गरीब देश में सफल नहीं हो सकता है तथा संसदीय लोकतंत्र ऐसे किसी देश में तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता है जहां मतदाता इतने अनपढ़ हों जैसा हमारे देश की स्थिति है। हमने लोगों को इसके बारे में लिखते हुए देखा है। मुझे याद आता है कि वर्ष 1960 में 'न्यूयार्क टाइम्स' के भारत में रह रहे संवाददाता एस. हैरीसन ने वापिस अपने देश जाकर इंडिया; दा मोस्ट डेन्जरस डिकेड्स" नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने वर्ष 1970 के दशक के अंत तक भारतीय संघ का अन्त होने का पूर्वानुमान लगाया था।

हमने नाश और विनाश के संबंध में भविष्यवाणी करने वाले इन सभी लोगों की बातों को गलत सिद्ध कर दिया है तथा हमारे गणतंत्र ने दिखा दिया है कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति है।

महोदया, मेरा पूर्ण विश्वास है कि लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्ध खुला एक समाज सभी मौलिक मानव अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रतिबद्धता विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना हैं जो यदि सफल हो जायेगी तो तीसरे विश्व के सभी देशों में विकास की प्रक्रिया के गहरे प्रभाव पडेंगे।

लाखों–करोड़ों लोगों की आबादी वाले इस देश के संबंध में लोग इस बात से आश्चर्य चकित हैं कि जहां विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तथा विभिन्न जातियां हैं फिर भी वे एक साथ आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इस बात से हमारे देश को काफी प्रशंसा मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान मैंने यह बात महसूस की है क्योंकि मैंने विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा की है।

यह हमारा सौभाग्य है तथा साथ ही परम कर्तव्य भी है कि हम अपने विशाल गणतंत्र की लोकतांत्रिक बुनियाद को सुदृढ़ करें।

इस पूरी व्यवस्था में कुछ खामियां है। अतः अपनी तारीफ करते हुए हमें उन कमियों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। वे कमियों हैं चुनाव में धनशक्ति तथा बाहुबल का बढ़ता प्रयोग। मेरे विचार से ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक ठाक रखने हेतु निपटने की आवश्यकता है।

यदि हमें सफल होना है तो हमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम ऐसे दलों तथा व्यक्तियों को जो धर्म अथवा जाति के आधार पर हमारे देश को बांटना चाहते हैं, प्रोत्साहित नहीं करेंगे।

हमें उन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए जो अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसा को साधन बनाते हैं। मेरा विश्वास है कि हम सभी को सामाजिक और आर्थिक विकास जो एक निर्धन देश के लिए अत्यंत अनिवार्य है, सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, ताकि इसका लाभ अनिवार्य रूप से समाज के सभी वर्गों, संघ के सभी राज्यों समस्त समुदायों और संपूर्ण जनता को मिले।

मैंने लालू जी को बिहार की विशेष समस्याओं का उल्लेख करते हुए सुना है। मैं उन्हें और माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारे देश के पिछड़े क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन पर ध्यान देना हमारी प्राथमिकता होगी क्योंकि हम विकास से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लोकतंत्र एक सुंदर वृक्ष है, परंतु प्रतिस्पर्धी राजनीति के दबाव में सभी आधुनिक लोकतंत्र अल्पावधि उद्देश्यों को अपनाने को प्रवृत है; अक्सर दीर्घावधि सरोकारों और मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिए। यदि भारत को अपने विकास का उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें अवश्य ही दीर्घावधि दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं आशा करता हूं कि हम दीर्घावधि दृष्टिकोण अपनायेंगे, और यह दृष्टिकोण तथा इन दीर्घावधि सरोकारों को पूरा करने की इच्छा और साहस हमारे गणतंत्र के उन संस्थापकों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने हमें भारत का इतना शानदार संविधान दिया हैं।

महोदया, हमारी सरकार को जो जनादेश मिला है हमने उसे पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है, इसमें बड़ी–बड़ी बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम मानते हैं कि इस जनादेश ने हम सब पर जिम्मेदारी भी डाल दी है कि हम देश को एक मजबूत, उद्देश्यपरक, स्थिर तथा एक ऐसी सरकार दें जो सर्वसमावेशी विकास की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए प्रतिबद्ध हो। जैसा कि स्वयं माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने शानदार अभिभाषण में यह स्वीकार किया है कि यह एक ऐसा एजेंडा है जो हमें अगले पांच वर्षों तक हर दिन व्यस्त रखेगा। अतः यह जनादेश स्थायित्व, निरंतरता के साथ–साथ परिवर्तन, समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता, समाज विकास और धर्म निरपेक्ष तथा बहुलवादी भारत के स्वरूप के परिरक्षण और संरक्षण के प्रति वचनबद्धता के लिए है।

महोदया, हम इनमें से प्रत्येक मोर्चे पर समन्वित प्रयास करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमें वह दिशा दी है जिस पर हम आगे बढ़ेगें। हम रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण और कृषि विकास, स्वास्थ्य के अपने अग्रणी कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनायेंगे तथा और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जन सेवा परिदान प्रणाली में सुधार लायेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि काफी कार्य किया जा चुका है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम अपने कार्य में तेजी लाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देंगे।

महोदया, हम मानते हैं कि इस विशाल कार्य को करने के लिए यदि केन्द्र और राज्य और पंचायती राज संस्थानों का तीसरा स्तर सहयोग और सौहार्द की भावना से कार्य नहीं करेंगे तो विकास का एजेंडा सफल नहीं हो सकेगा। महोदया, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राज्यों, पंचायती राज संस्थानों के साथ कार्य करते समय हम निष्पक्षता के आधार पर कार्य करेंगे। किसी भी ऐसे राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा जिसमें दिल्ली की सत्ता से इतर पार्टियों का शासन है। मेरा यह वायदा है मैं सभी मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय विकास परिषद में एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि व्यापक रूप से विकास और समावेशी विकास एजेंडा, जो माननीया राष्ट्रपति ने हमारी जनता के समक्ष रखा है, को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जा सके।

महोदया, माननीया राष्ट्रपति जी ने जिन कार्य नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया है मैं उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार के रूप में हमारा मूलभूत कार्य क्या है। मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूं और यहां पर मैंने हमारे गणतंत्र के संस्थापकों महात्मा

गांधी, जवाहर लाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी से प्रेरणा ली है, जिन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह सपना था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोछे जाएं। हम आज तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएं। परंतु यह एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो देश की जनता को गरिमामय जीवन और आत्म सम्मान देने के लिए हमारी सरकार का मार्गदर्शन करेगा।

यदि हमारे लोगों को स्वास्थ्य खराब रहे, यदि वे निरक्षर हों, यदि पर्यावरण संरक्षण उपायों की व्यवस्था न की जाए, यदि हमारे देश की भूमि और जल संसाधनों तथा हमारे देश के नदी संसाधनों का निर्बाध क्षरण जारी रहे तो विकास अर्थहीन है। इसलिए हम अपने आपको विकास की इस सर्वसमावेशी अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं जिसमें विकास का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचे तथा जहां हमारे गौरवमय गणतंत्र के सभी नागरिकों को अपनी महत्वकांक्षाएं पूर्ण करने का समान अवसर मिले। यह आसान नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन यह सब करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और पैसा पेड़ों पर नहीं लगता हैं यदि हमें अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों में निवेश करना हो तो हमें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से, पिछले पांच वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है। इससे हमारे राजस्व में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हम कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक संसाधनों को खर्च करने में सफल रहे हैं।

अभी हाल ही में पिछले एक वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय मन्दी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हमारी विकास दर जो पिछले चार वर्षों के दौरान 9 प्रतिशत रही थी, गिरकर 7 प्रतिशत रह गई है। हम परस्पर निर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में जी रहे हैं और मैं आपसे यह वायदा नहीं कर सकता कि वैश्विक घटनाओं का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूं क्योंकि हमारी बचत दर काफी अधिक अर्थात् 35% है। यदि विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार न हो तो तब भी हमारी सामूहिक इच्छा को देखते हुए और यदि हम सभी मिलजुल कर कार्य करें तो 8 से 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जा सकती है। यह दर्शाता है कि हम कम से कम 7 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखेंगे। इतने कम समय में हम इससे बेहतर कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। इसलिए, हमारी सरकार की महत्वकांक्षा यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चाहे कुछ भी होता रहे, हमारे देश में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह अपनी रीति–नीति इस ढंग से तय करे कि हमारी अर्थव्यवस्था 8 से 9 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर से आगे बढ़े। मुझे भरोसा है कि इस सम्मानित सभा के सभी वर्गों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है। यही वह दिशा है जिसकी ओर हमें कदम बढ़ाने होंगे।

मैं जानता हूं कि राजकोषीय प्रणाली पर दबाव आ गया है। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है लेकिन मेरा यह मानना है कि अवधि में इस सबके बावजूद हमारे पास अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर और अधिक संसाधन खर्च करने की गुंजाइश है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तब वे इस संबंध में सरकार की रणनीति का खुलासा करेंगे।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम अपनी तरह से खर्च करके समृद्ध नहीं हो सकते। वर्तमान स्थिति में सरकारी खर्च विशेषकर अवसरंचना परियोजनाओं पर खर्च न बढ़ाए जाने की काफी गुंजाइश है और इसके कारण मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। इससे केवल विकास वृद्धि की क्षमता को बल मिलेगा और मेरा यह मानना है कि विश्व के बहुत से देशों को अपनी चपेट में लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंदी से निबटने का यही सबसे सही रास्ता है।

विश्व की अर्थव्यवस्था भारत जैसे विशाल देश के प्रबंधन से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा मामलों में भी कुछ हलचलें हो रही हैं जो विकास की प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं। यदि आतंकवाद पर काबू नहीं पाया गया और यदि वामपंथी, उग्रवाद का हमारे देश के महत्वपूर्ण भागों, जहां खनिजों के प्राकृतिक संसाधनों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की प्रचुरता है, में फलना–फूलना जारी रहता है तो उससे निवेश का परिवेश निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसलिए सरकार में रहते हुए हम आतंकवाद पर काबू पाने के लिए वह सब करने के लिए कटिबद्ध हैं जितना हमारे वश में है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद के लिए 'जीरो टोलरेन्स' का उल्लेख किया। इसी प्रकार वामपंथी चरमपंथ से निबटने के लिए हमें दिग्भ्रमित युवाओं को भी यह समझाना होगा कि बन्दूक की हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है और हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था उनको मत पत्र के माध्यम से अपने सरोकारों को व्यक्त करने का विकल्प मुहैया करवाती है और हमने विगत में देखा कि पहले जो विद्रोही थे वे शासक बनने में सफल रहे हैं। यही हमारे गणतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की विशेषता है। इसलिए इन चरमपंथी तत्वों से निबटने के लिए हमें दो मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। हम हिंसा को कुछ पाने का जरिया नहीं बनने दे सकते हैं। इसके साथ ही हम यह मानते हैं कि एक विशेष परिवेश में हिंसा पनपती है और यह सुनिश्चित करना

हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक असन्तोष के कारण बहकावे में आकर लोग प्रभावित लोगों की जमात में न शामिल हो जाएं। इसलिए इन दोनों मोर्चों पर काम होना चाहिए और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि विकास के लाभ हमारे समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिले।

मैं यह जानता हूं कि हमारे देश मे जनजातीय आबादी को पूरा न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से हम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कर रहे हैं और हम ऐसे अधिकारियों को जिनकी इन दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने में रूचि नहीं है, को वहां भेज रहे हैं, उससे संसाधनों के प्रवाह की समुचित निगरानी नहीं हो पाती है और संसाधनों को खर्च करने में समुचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि कम से कम मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्रों हेतु विकास की रणनीति की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार जनजातीय समुदायों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हमने पिछले पांच वर्षों में कुछ कदम उठाए हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम जो वनवासियों को अधिकार प्रदान करता है, इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष, जो प्रायः नक्सलवाद अथवा वामपंथी उग्रवाद का कारण बनता है, पर काबू पाने के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि 26 नवम्बर को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किए गए जांच आयोग ने कतिपय खामियों के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराया है। जैसा कि संसद सदस्य जानते हैं कि उस दिन की घटनाओं और जिस प्रकार राज्य सरकार ने हमले का जवाब दिया था की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दो सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। मैं समझता हूं कि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। राज्य सरकार के गई कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र विधान सभा में निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगी। इसलिए इस समय राज्य विधान सभा के सभा पटल पर रिपोर्ट को औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले इसके बारे में टिप्पणी करना संभव नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन के बारे में निकाले गए निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा।

तथापि, मैं भविष्य में ऐसे आतंकवादी हमलों के विरुद्ध चौकसी और कड़ी करने के लिये नवम्बर, 2008 से उठाये गये अनेक कदमों के बारे में सभा को जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि 26 नवम्बर के हमले को अंजाम देने वाले अपराधी समुद्र के रास्ते आये थे। हम सभी को इस प्रकार के हमलों के प्रति अपनी कमजोरी के बारे में पता था तथा हमने पहले से ही अनेक कदम उठा लिये थे, परंतु निस्संदेह ये कदम अपर्याप्त थे। हमने अपनी समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अनेक प्रयास किए हैं, जिसमें हमारी नौसेना की पूर्ण निगरानी में तट–रक्षक के अंतर्गत एक समुद्री कमान्ड की स्थापना करना शामिल है।

हमने तट–रक्षक तथा नौसेना को अनुपूरित करने के लिए समुद्री पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की है। उसके साथ–साथ और अनेक कदम उठाये गये हैं। परंतु मैं ऐसे कुछेक कदमों का उल्लेख करूंगा। आसूचना संबंधी जानकारी के आदान–प्रदान में सुधार भी उनमें से एक कदम है। उसके लिए स्थापित बहु–एजेंसी केन्द्र अब पूरी तरह से कार्यरत है तथा अनेक राज्यों में सहायक बहु–एजेंसी केन्द्रों का गठन किया गया है। इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। कार्यवाही करने लायक सभी आसूचना संबंधी जानकारी ऑन–लाइन अंतरण हेतु 'नेट–सेंट्रिक इंन्फारमेशन कमाण्ड अवसंरचना को सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जा रहा है। साथ ही कार्यवाही करने लायक आसूचना संबंधी जानकारी को एकत्र करने को वरीयता दी गई है तथा इस प्रयोजन हेतु उपाय किये गये हैं। आसूचना प्राप्त करने हेतु तकनीकी नवीन प्रक्रियाओं तथा तकनीकी वस्तुओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। आसूचना विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में भी अनेक कदम उठाये गये हैं। गंभीर आतंकवादी अपराधों की जाचं करने की जिम्मेदारी अब मुख्य रूप से नव–गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की होगी।

अतिरिक्त कानूनी उपाय किए गए हैं इनमें नये राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (एनआईएएक्ट) के अतिरिक्त विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। गृह मंत्री जी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं तथा उन्हें इन दो नए कानूनों के विशिष्ट पहलुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

महोदया, मुम्बई में 26 नवम्बर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् समर्पित आतंकवादियों से निपटने हेतु गठित समर्पित बलों को और सुदृढ़ किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश में आतंकवादियों के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करने वाला मुख्य बल है। इसकी क्षमता में सुधार करने, इसे बेहतर गतिशीलता प्रदान करने तथा अत्याधुनिक

उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु बड़ा प्रयास किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम चार नये एन.एस.जी. हब बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करने वाले कुछ अन्य समर्पित बलों को बनाये जाने की मांग की गई है।

महोदया, यह कहने की बात नहीं कि मुश्किल भरे समय की दोनों चुनौतियां जैसे कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में तथा हमारे लोगों की भलाई हेतु हमारी पहुंच के भीतर अद्वितीय अवसर हमें सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक साथ कार्य करने की ओर निर्देशित करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर अपना समर्थन दिया। अतः सरकार की ओर से मेरा यह कर्तव्य है कि मैं एकता की भावना को और सुदृढ़ करूं। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हमारे मतभेद देश के सामने विद्यमान चुनौतियों के सामने मिट जाते हैं।

महोदया, मैं अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं। हम ऐसे पड़ोसी देशों के साथ रह रहे हैं जहां काफी अशांति है। मेरा विश्वास कि भारत तब तक अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि का माहौल न हो और यदि हमारे पड़ोसी देशों में अस्थिरता और अशांति है, तो उसका हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो कि सतत वृद्धि तथा विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसीलिये, मेरे पास परिवर्तित दक्षिण एशिया हेतु ऐसी दूरदर्शिता है, जिसके माध्यम से हम अपने सभी पड़ोसी देशों के सहयोग के साथ गरीबी से समृद्धि में, अज्ञानता से ज्ञान संपन्न समाज में तथा असुरक्षा से स्थायी शांति की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में रह रहे डेढ़ बिलियन लोगों का भविष्य दाव पर लगा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमें पाकिस्तान के साथ शांति बनाये रखने के लिए पुनः प्रयास करना चाहिये और यही हमारे हित में है। मेरा मानना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। निःसंदेह इस दिशा में कतिपय अवरोध हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार ऐसा वातावरण तैयार करेगी, जिससे हम अपने उस स्वप्न को पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि पाकिस्तान की सरकार अपने प्रादेशिक क्षेत्रों को भारत अथवा भारतीय हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी तथा मुम्बई हमले के दोषियों सहित भारत में किए गए विगत सभी अपराधों के दोषियों को सजा दिलाएगी। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की कार्यवाही का दोनों देशों के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। यदि पाकिस्तान के नेताओं में शांति हेतु हिम्मत, इस रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प तथा राजनीतिक सूझबूझ है, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भी बढ़चढ़ कर उनके साथ होंगे।

मुझे श्रीलंका के बारे में कुछेक शब्द कहने चाहियें। हमारे श्रीलंका के लोगों के साथ सदियों पुराने संबंध हैं तथा हमें उस देश में रह रहे तमिल लोगों के हितों की भी पर्याप्त चिंता है। तमिल समस्या एल. टी. टी. ई. से भी काफी बड़ी है तथा मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार तमिल लोगों की वैध चिंताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगी, ताकि वे सामान्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा तथा सम्मान के साथ वहां रह सकें। हम श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा राहत में सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं तथा हमने इस प्रयोजन हेतु पहले ही 500 करोड़ रुपये की धनराशि देने की बात की है। हम सामान्य स्थिति बहाल करने तथा इन लोगों के अपने घरों तथा व्यवसायों में वापिस जाने हेतु जो कुछ भी हमसे संभव होगा, करने को तैयार हैं।

इस सदन तथा दूसरे सदन में माननीय सदस्यों ने आस्ट्रेलिया मे हुए घटनाक्रम के बारे में चिंता व्यक्त की है। महोदया, आस्ट्रेलिया भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया है। कई अन्य माननीय सदस्यों की तरह, जिन्होंने इस सभा में अपने विचार व्यक्त किए हैं, मुझे भी वहां की हिंसक घटनाओं ने व्यथित किया है तथा अपराध तथा इनमें से कतिपय घटनाएं आस्ट्रेलिया में हमारे विद्यार्थियों के विरुद्ध नस्लवाद से प्रेरित हैं। इस संबंध में मैं आस्ट्रेलिया में उच्चस्तरीय अधिकारियों से वार्ता करने की पेशकश करता हूं ताकि स्थिति का सही सही जायजा लिया जा सके और भारतीय विद्यार्थियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सके।

महोदया, मैंने पहले ही इस विषय के संबंध में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रूड्ड से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भारतीय विद्यार्थियों पर होने वाले किसी भी नस्लवादी के हमले से सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने संसद में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने इन हमलों की निंदा की और उन पर खेद प्रकट किया तथा यह भी कहा कि ये हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आस्ट्रेलिया एक बहु–संस्कृति वाला राष्ट्र है, जो विविधता का सम्मान करता है तथा उसे अपनाता है। उन्होंने यह कहा कि इनसे नियमानुसार पूरी ताकत से निपटा जायेगा।

महोदया, इस संबंध में मैं विद्यार्थियों के माता–पिता की चिंताओं की अनदेखी नहीं करना चाहता। तथापि, समाचार माध्यमों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि वहां भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिकों की संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। हमें उनके हितों को ध्यान में रखना है और जाने–अनजाने में ऐसे हालात पैदा करने से बचना चाहिए जिससे भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिक

नस्लीय असहिष्णुता का निशाना न बनें। भारत और आस्ट्रेलिया के संबंध बहुत अच्छे हैं और विगत पांच वर्षों में हमने अपने इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने का प्रयास किया है।

महोदया, मैं चीन के साथ संबंधों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने चीन के साथ हमारे संबंधों के मुद्दे को उठाया है और मैं कहना चाहता हूं कि चीन हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन के साथ हमारे बहु–आयामी संबंध हैं। मैंने अक्सर यह कहा है कि चीन और भारत दोनों वैश्विक शांति, स्थायित्व और समृद्धि में योगदान देने के लिए अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हमें चीन के साथ अपने संबंधों को विरोधात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। हमारे व्यापक व्यापारिक संबंध हैं। हम वैश्विक मुद्दों, चाहें वह जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद या जी–20 प्रक्रिया का मामला ही क्यों न हो, हम एक–दूसरे से परामर्श करते हैं और हमारी सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रति हमारे एक समान विचार हैं।

निस्संदेह, सीमा विवाद जैसे कुछ जटिल मुद्दे भी हैं। परंतु इस समस्या के समाधान के लिए एक तंत्र बनाने के संबंध में हमारी सहमति हो गई है। हम चीन के साथ सुदृढ़ और स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं। यह दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। गत पांच वर्षों में मैंने चीन के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैंने अभी जो विचार व्यक्त किए हैं, वे भी उनसे सहमत हैं। परंतु चाहे चीन हो अथवा कोई अन्य देश, हम अपने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और एकता सुनिश्चित करेंगे और हर तरीके से सुरक्षा बनाए रखेंगे। सभा को इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

महोदया, राष्ट्रपति का अभिभाषण व्यापक है। मैं उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकता। चूंकि मैंने चर्चा सुनी और विश्व के अग्रणी देशों में भारत को अपना उचित स्थान दिलाने के लिए एक समग्र राष्ट्र के रूप में यहां जिस प्रकार सभी पक्षों की ओर से एकजुटता दिखाई गई है उससे मैं अभिभूत हूं। देशवासियों द्वारा भी यही जनादेश दिया गया है जो एक परिवर्तन समग्र विकास तथा अपने शानदार गणतंत्र की ध र्मनिरेपेक्षता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए है। इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैं सरकार की ओर से अपनी वचनबद्धता दर्शाता हूं तथा सभी माननीय सदस्यों को इस धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने कई संशोधन पेश किए हैं। क्या मैं मतदान के लिए सभी संशोधनों को सभा में एक साथ प्रस्तुत करूं अथवा कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन विशेष को पृथक रूप से पेश करना चाहता है।

अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अब मैं प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :–

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 4 जून, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है के लिए उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.44 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम नई सरकार के गठन के साथ 1 जून, 2009 से आरंभ हुए पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं।

सुस्थापित परम्परा के अनुसार, सभा की प्रथम बैठक अवसर की गरिमा के अनुरूप थोड़ी देर के लिए मौन रखने के साथ आरंभ हुई, तत्पश्चात् अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया, सत्र के दौरान 541 सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया।

3 जून, 2009 को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव रखा गया। मैं, अध्यक्ष के सम्मानित पद हेतु लोक सभा द्वारा निर्विरोध निर्वाचित होने पर अत्यधिक सम्मानित हुई हूं। मेरे साथी श्री कड़िया मुडा जी भी 8 जून, 2009 को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

आज सभा ने 4 जून, 2009 को दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया। यह प्रस्ताव 16 घंटे तक चली लम्बी चर्चा के उपरान्त स्वीकृत हुआ जिसमें 76 सदस्यों ने भाग लिया।

सदस्यों ने 'शून्य काल' के दौरान 8 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले तथा नियम 377 के अधीन 37 मामले उठाए।

मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सामयिक अध्यक्ष, श्री माणिकराव होडल्या गावीत और सभापति तालिका के सदस्यों को, 15वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने प्रतिज्ञान कराने के लिए आरंभिक दिनों में सभा के सभापति के उत्तरदायित्व निभाने के लिए धन्यवाद देती हूं।

मैं, माननीय उप–सभापति श्री कड़िया मुंडा जी और सभापति तालिका के अपने साथियों को सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं, माननीय प्रधानमंत्री, सभा के नेता, विपक्ष के नेता, संप्रग के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों का सहयोग देने के लिए आभारी हूं। मैं आप सबकी ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस मौके पर महासचिव को सक्षम और विशेषज्ञता पूर्ण सहायता देने के लिए बधाई देती हूं। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों को भी सभा को उनकी समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं अन्य संबद्ध अभिकरणों को भी सभा की कार्यवाही संचालित करने में उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देती हूं।

अपराह्न 12.47 बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सदस्य खड़े हो जाए। 'वंदे मातरम' की धुन बजायी जाएगी।

राष्ट्रीय गीत की धुन बजायी गयी।

अध्यक्ष महोदया : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.49 बजे

तत्पश्चात सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालयं
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।